क्रमांक–36

श्री अख्तरूल इस्लाम शाहीन, स०वि०स० द्वारा दिनांक–23.03.18 को पूछा जाने वाला , अल्प–सूचित प्रश्न–15 का उत्तर ।

	प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
खण्ड	श्री अख्तरूल इस्लाम शाहीन स०वि०स० क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :–	श्री मंगल पाण्डेय माननीय मंत्री स्वास्थ्य विभाग, बिहार पटना
1.	क्या यह बात सही है कि देश में 11528 लोगों की आबादी पर एक डॉक्टर का राष्ट्रीय औसत है,	आंशिक स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि सेन्ट्रल ब्यूरो ऑफ हेल्थ इन्टेलीजेन्स के प्रतिवेदन 2017 के अनुसार सरकारी अस्पतालों में कार्यरत चिकित्सकों के विरुद्ध अबादी चिकित्सक अनुपात 11097 है। पुरे देश में वर्ष 2017 तक 10 लाख चिकित्सक पंजीकृत है।
2.	क्या यह बात सही है कि बिहार राज्य में 28391 लोगों की आबादी पर इलाज हेतु एक डॉक्टर उपलब्ध है, जबकि विश्व स्वास्थ्य संगठ न के मानक के अनुसार एक हजार की आबादी पर एक डॉक्टर की आवश्यकता है,	आंशिक स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानक के अनुसार 1000 की आवादी पर एक चिकित्सक निर्धारित है। इस सन्दर्भ में सेन्ट्रल व्यूरो ऑफ हेल्थ इन्टेलीजेन्स 2017 में प्रकाशित नेशनल हेल्थ प्रोफाईल के अनुसार वर्ष 2016 तक बिहार में 40043 चिकित्सक पंजीकृत है। इस प्रकार वर्ष 2011 की जनसंख्या के अनुसार वर्ष 2016 में (2001 से 2011 के बीच 2.29 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से) अनुमानित जनसंख्या 116583615 है तदनुरूप शत प्रतिशत पंजीकृत चिकित्सकों के कार्यरत रहने पर प्रति 2911 जनसंख्या पर एक चिकित्सक उपलब्ध है। इस संदर्भ में यह भी उल्लेखनीय है कि वर्त्तमान में सरकारी एम०बी०बी०एस० चिकित्सकों की संख्या मेडिकल कॉलेज सहित 6830 है। इस प्रकार वर्ष 2018 में अनुमानित जनसंख्या 120786594 के विरुद्ध चिकित्सक जनसंख्या अनुपात 17685 होता है।

3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानक के अनुरूप इलाज हेतु डॉक्टर की बहारी करने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों,	सरकार चिकित्सकों की कमी को दूर करने हेतु सत्त प्रयत्नशील है। बिहार लोक सेवा आयोग से प्राप्त अनुशंसा के आधार पर वर्ष 2016 में कुल 1805 सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी एवं 665 विशेषज्ञ चिकितसा पदाधिकारियों की नियुक्ति एवं पदस्थापन विभाग स्तर से किया गया है। इसके अतिरिक्त राज्य में चिकित्सकों की कमी को दूर करने हेतु राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार पटना द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अन्तर्गत विशेषज्ञ चिकित्सकों एवं राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत चिकित्सकों को संविदा पर नियोजित कर पदस्थापित किया जा रहा है। सामान्य चिकित्सकों की नियुक्ति राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा किया जा रहा है। साथ ही विभाग स्तर से भी अनुबंध के आधार पर चिकित्सा पदाधिकारियों/विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारियों के नियोजन हेतु विभागीय पत्रांक–74(2) दिनांक–25.1.17 के द्वारा भी निदेश दिया गया है। महिला चिकित्सक सहित सामान्य चिकित्सको के शीघ्र नियुक्ति हेतु बिहार तकनीकी चयन आयोग के माध्यम से नियुक्ति का अनुरोध भी सामान्य प्रशासन विभाग से किया गया है। इसके अतिरिक्त बिहार चिकित्सा सेवा/बिहार चिकित्सा शिक्षा सेवा से सेवानिवृत्त सामान्य चिकित्सकों एवं विशेषज्ञ चिकित्सकों के पद पर पुनः नियोजित करने हेतु विज्ञापन प्रकाशित कर अग्रेत्तर कार्रवाई की जा रही है।

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

ज्ञापांक –2/क्यू– 56/2019– पटना, दिनांक / / 2018

प्रतिलिपि, प्रशाखा पदाधिकरी, बिहार विधान सभा सचिवालय, पटना के ज्ञापांक–2580–81 दिनांकः–15.03.2018 के प्रसंग में पांच प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि, संसदीय कार्य विभाग, बिहार पटना को सूचनार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि, प्रभारी अवर सचिव, विभागीय प्रशाखा–13 को सूचनार्थ प्रेषित ।

(जगदीश कुमार)
विशेष कार्य पदाधिकारी।

D>Sec-2>2018>Sec-2 Question2018 sabha

माननीय श्री ललित कुमार यादव, स0वि0स0 से प्राप्त अल्पसूचित प्रश्न संख्या–अ0सू0–16

खण्ड	प्रश्नकर्त्ता श्री ललित कुमार यादव, स0वि0स0	उत्तरदाता श्री मंगल पाण्डेय, मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, बिहार
	क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–	
(1)	क्या यह बात सही है कि पी0एम0सी0एच0 में वर्ष 2012 में आठ चाईल्ड वेंटिलेटर मेकंट (Mekant) कम्पनी से खरीदी गई थी, जिसका उपयोग नहीं होने के कारण शिशु विभाग में वेंटिलेटरों के अभाव में बच्चे दम तोड़ रहे हैं ;	आंशिक स्वीकारात्मक है। यह सही है कि पी0एम0सी0एच0, पटना में वर्ष 2012 में 8 चाईल्ड वेंटिलेटर Mek-ICS कम्पनी से खरीदी गई थी। इनमें से 5 वेंटिलेटर अधिष्ठापन के पश्चात् खराब हो गए। परिणामस्वरूप शेष 3 वेंटिलेटर अधिष्ठापित नहीं किया गया। राज्य सरकार नवजात शिशुयों की उचित चिकित्सा हेतु सतत् प्रयत्नशील है। इसका परिणाम है कि राज्य में शिशु मृत्यु दर में लगातार गिरावट हो रही है। वर्ष 2010 में जहाँ शिशु मृत्यु दर 48 शिशु प्रति हजार जन्म था, वह वर्ष 2016 में घटकर 38 शिशु प्रति हजार जन्म पर आ गया है। शिशु मृत्यु दर को और कम करने की दिशा में राज्य सरकार सतत् प्रयत्नशील है।
(2)	क्या यह बात सही है कि खरीदी गई 8 वेंटिलेटरों में से 5 वेंटिलेटर का उपयोग अस्पताल प्रशासन ने कर लिया लेकिन पाँचों वेंटिलेटर शुरू से ही खराब रहने के कारण अस्पताल प्रशासन द्वारा 3 वेंटिलेटर को लेने से इंकार कर दिया जो पी0एम0सी0एच0 के स्टोर रूम में रखा हुआ है ;	स्वीकारात्मक है।

क्रमशः

(3)	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार वेंटिलेटर सप्लाई करने वाली कम्पनी मेकंट तथा अस्पताल प्रशासन की लापरवाही पर कौन सी कार्रवाई करना चाहती है, नहीं तो क्यों ?	मामले की जाँच हेतु विभाग द्वारा निदेशक प्रमुख (प्रशासन) की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय जाँच दल का गठन किया गया है। समिति को 15 दिनों के अन्दर प्रतिवेदन समर्पित करने हेतु निदेशित किया गया है। जाँच प्रतिवेदन के आधार पर विभाग द्वारा एक माह के अन्दर निर्णय ले लिया जायेगा।

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

ज्ञापांकः–1/क्यू0–27/2018– /स्वा0, पटना, दिनांक– / /2018

प्रतिलिपिः– प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार विधान सभा, पटना को उनके ज्ञापांक–2775–77 वि0स0, पटना, दिनांक–19.03.2018 के प्रसंग में 5 प्रतियों में सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– उप सचिव/अवर सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– प्रशाखा पदाधिकारी–13, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

श्री मिथलेश तिवारी, माननीय स0वि0स0 से प्राप्त अल्पसूचित प्रश्न सं0–14 का उत्तर ।

खंड	प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
	श्री मिथलेश तिवारी, माननीय स0वि0स0	श्री मंगल पांडेय, माननीय मंत्री स्वास्थ्य विभाग।
(क)	क्या यह बात सही है कि वित्तीय वर्ष 2014–15 से 2016–17 तक लगातार तीन वर्षों का बकाया भुगतान विभिन्न बीमा कम्पनियों द्वारा सरकार द्वारा चयनित अस्पतालों को नहीं किये जाने के कारण गरीबों की मुफ्त चिकित्सा की यह महत्वपूर्ण योजना दिनांक–31 मार्च, 2017 से बन्द है, यदि हाँ तो क्या सरकार राज्य के सभी चयनित अस्पतालों के बकाया राशि का भुगतान बीमा कम्पनियों से कराकर इस महत्वाकांक्षी योजना को पुनः शुरू करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नही तो क्यों ?	**उत्तर आंशिक स्वीकारात्मक है।** • वस्तुस्थिति यह है कि वित्तीय वर्ष 2014–15 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना का संचालन नहीं हुआ है। • वित्तीय वर्ष 2015–16 एवं 2016–17 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना का संचालन किया गया। • भारत सरकार के पत्रांक–S-12012/13/2017-RSBY दिनांक 19.04.2017 के द्वारा योजना का विस्तार 31.03.2018 तक करने का निदेश दिया गया। उक्त निदेश के आलोक में स्वास्थ्य विभागीय पत्रांक–1522 दिनांक–23.06. 2017 के द्वारा संबंधित बीमा प्रदाता कंपनियों को योजना के अवधि विस्तार हेतु निदेश दिया गया। परन्तु बीमा कंपनियों के द्वारा योजना का क्रियान्वयन नहीं किया गया। • वित्तीय वर्ष 2015–16 एवं 2016–17 में बीमा प्रदाता कंपनियों को कुल राज्यांश राशि 32,97,21,085 (बत्तीस करोड़ संतानवे लाख एक्कीस हजार पच्चासी) रू0 मात्र का औपबंधिक भुगतान कर दिया गया है। केन्द्रांश राशि विमुक्ति के संदर्भ में भारत सरकार द्वारा वैधानिक अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2014–15, 2015–16 एवं 2016–17 की मांग की गई है। वैधानिक अंकेक्षण प्रतिवेदन अंकेक्षक के द्वारा शीघ्र तैयार किया जा रहा है। अंकेक्षण प्रतिवेदन प्राप्त

		होते ही भारत सरकार को भेजकर केन्द्रांश राशि की मांग की जायेगी। भारत सरकार से केन्द्रांश राशि प्राप्त होने के पश्चात् जांचोपरान्त नियमानुकूल संबंधित बीमा कंपनियों को भुगतान कर दिया जायेगा। जहां तक अस्पतालों का भुगतान का प्रश्न है, यह भुगतान बीमा कंपनी द्वारा अस्पतालों को किया जाता है। सरकार द्वारा नयी महत्वाकांक्षी योजना "आयुष्मान भारत" के तहत् राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (National Health Protection Scheme) राज्य में शुरू करने की कार्रवाई की जा रही है।

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

ज्ञापांकः–12/प0–क्यू0–04–45/2018– /पटना, दिनांकः–..........

प्रतिलिपि–उप सचिव, बिहार विधान सभा, सचिवालय, पटना के पत्रांक–2537–39 दिनांक 14.03.2018 के क्रम मे (पाँच अतिरिक्त प्रतियों सहित)/संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना (दो प्रति में)/प्रशाखा पदाधिकारी–13, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(अंजनी कुमार सिन्हा),
सरकार के अवर सचिव।

39

माननीय श्री अनिल सिंह, स0वि0स0 से प्राप्त अल्पसूचित प्रश्न संख्या–अ0सू0–13

खण्ड	प्रश्नकर्त्ता श्री अनिल सिंह, स0वि0स0	उत्तरदाता श्री मंगल पाण्डेय, मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, बिहार
	क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–	
(1)	क्या यह बात सही है कि राज्य के मेडिकल कॉलेजों में आधारभूत संरचनाओं की कमी रहने के कारण नेफोलॉजी, कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी, न्येरो सर्जरी विषय में डी0एम0 एवं एम0सी0एच0 की पढ़ाई की अनुमति एम0सी0आई0 द्वारा नहीं दी गयी है जिसके कारण राज्य के मेधावी छात्र बाहर पढ़ने चले जाते हैं, यदि हाँ, तो सरकार सभी मेडिकल कॉलेजों में उपर्युक्त विषयों की पढ़ाई शुरू कराने हेतु कौन सा कदम उठाने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?	स्वीकारात्मक है। राज्य में सुपरस्पेशलिटी चिकित्सा शिक्षा एवं चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से PMSSY के फेज–III एवं फेज–IV के अन्तर्गत राज्य के पुराने पाँच चिकित्सा महाविद्यालयों में 7–8 सुपरस्पेशलिटी विभागों की स्थापना की जा रही है। इनमें नेफ्रोलॉजी कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी, न्यूरोसर्जरी विभाग भी शामिल हैं। इसके पश्चात् इन संस्थानों में सुपरस्पेशलिटी चिकित्सा शिक्षा (डी0एम0 एवं एम0सी0एच0) की पढ़ाई प्रारम्भ हो जायेगी। IGIMS में भी न्यूरोसर्जरी, कार्डियोलॉजी, नेफ्रोलॉजी आदि विभागों में सुपरस्पेशलिटी चिकित्सा शिक्षा प्रारम्भ करने हेतु MCI के समक्ष प्रस्ताव विचाराधीन है।

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

ज्ञापांक:–1/क्यू0–26/2018– /स्वा0, पटना, दिनांक– / /2018

प्रतिलिपि:– प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार विधान सभा, पटना को उनके ज्ञापांक–2534–36 वि0स0, पटना, दिनांक–14.03.2018 के प्रसंग में 5 प्रतियों में सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:– उप सचिव/अवर सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:– प्रशाखा पदाधिकारी–13, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

क्रमांक–2038

डा० शकील अहमद खाँ, स०वि०स० द्वारा दिनांक–23.03.18 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–द–142 का उत्तर ।

	प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
खण्ड	डा० शकील अहमद खाँ, स०वि०स० क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :–	श्री मंगल पाण्डेय माननीय मंत्री स्वास्थ्य विभाग, बिहार पटना
1.	क्या यह बात सही है कि कटिहार जिला के सदर अस्पताल में 6 बेड वाला गहन चिकित्सा कक्ष को जून, 2011 में चालू किया गया है,	स्वीकारात्मक है।
2.	क्या यह बात सही है कि उक्त अस्पताल के गहन चिकित्सा कक्ष में औषधि चिकित्सक, शल्य चिकित्सक एवं निष्चेतना चिकित्सक का एक–एक पद सृजित है, जो कि विगत तीन वर्षों से रिक्त है,	स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि कटिहार सदर अस्पताल में कुल स्वीकृत 34 पदों के विरुद्ध 20 नियमित चिकित्सक एवं 5 अनुबंध पर नियोजित चिकित्सक कार्यरत है। इनमें से कटिहार सदर अस्पताल के गहन चिकित्सा कक्ष में दो सामान्य चिकित्सक पदस्थापित है।
3.	यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार उकत रिक्त पदों पर चिकित्सकों को पदस्थापित कराने का विचार रखती हे, हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों?	राज्य में चिकित्सकों की भारी कमी है। चिकित्सकों की कमी को दूर करने हेतु राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार पटना द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अन्तर्गत विशेषज्ञ चिकित्सकों एवं राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत चिकित्सकों को संविदा पर नियोजित कर पदस्थापित किया जा रहा है। सामान्य चिकित्सकों की नियुक्ति राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा किया जा रहा है। साथ ही विभाग स्तर से भी अनुबंध के आधार पर चिकित्सा पदाधिकारियों/विशेषज्ञ

		चिकित्सा पदाधिकारियों के नियोजन हेतु विभागीय पत्रांक–74(2) दिनांक–25.1.17 के द्वारा भी निदेश दिया गया है। महिला चिकित्सक सहित सामान्य चिकित्सको के शीघ्र नियुक्ति हेतु बिहार तकनीकी चयन आयोग के माध्यम से नियुक्ति का अनुरोध भी सामान्य प्रशासन विभाग से किया गया है। इसके अतिरिक्त बिहार चिकित्सा सेवा/बिहार चिकित्सा शिक्षा सेवा से सेवानिवृत्त सामान्य चिकित्सकों एवं विशेषज्ञ चिकित्सकों के पद पर पुनः नियोजित करने हेतु विज्ञापन प्रकाशित कर अग्रेत्तर कार्रवाई की जा रही है।

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

ज्ञापांक –2/क्यू–51 /2019– पटना, दिनांक / / 2018

प्रतिलिपि, प्रशाखा पदाधिकरी, बिहार विधान सभा सचिवालय, पटना के ज्ञापांक–2152–53 दिनांक:–09.03.2018 के प्रसंग में पांच प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि, संसदीय कार्य विभाग, बिहार पटना को सूचनार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि, प्रभारी अवर सचिव, विभागीय प्रशाखा–13 को सूचनार्थ प्रेषित ।

(जगदीश कुमार)
विशेष कार्य पदाधिकारी।

D>Sec-2>2018>Sec-2 Question2018 sabha

क्रमांक–2018

श्री अवधेश कुमार सिंह, माननीय स0वि0स0 द्वारा बिहार विधानसभा से प्राप्त तारांकित प्रश्न सं0 द–175, का प्रश्नोत्तर ।

खंड	प्रश्नकर्त्ता श्री अवधेश कुमार सिंह, माननीय स0वि0स0 क्या मंत्री स्वास्थ्य विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि: –	उत्तरदाता श्री मंगल पाण्डेय, माननीय मंत्री स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना
	क्या यह बात सही है कि गया जिला का मोहरा प्रखंड में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मोहरा में कर्मचारी के रहने के लिए आवास नहीं है, जिससे कर्मचारी को कठिनाई का सामना करना पड़ता है, यदि हाँ तो क्या सरकार उक्त स्वास्थ्य केन्द्र के कर्मचारियों के लिए आवास का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?	स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मोहरा को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में उत्क्रमित किया गया है। चरणबद्ध तरीके से सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के भवन निर्माणोपरान्त चिकित्सकों एवं कर्मचारियों के आवास का भी निर्माण कराया जाएगा।

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

ज्ञापांक:– 10/प्र0(वि0स0) 13–93/2018 स्वा0, पटना, दिनांक:–

प्रतिलिपि–प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार विधान सभा को उनके ज्ञापांक 2454–55, दिनांक 14.03.2018 के प्रसंग में पाँच अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि–संसदीय कार्य विभाग, बिहार पटना/प्रशाखा पदाधिकारी–13 स्वास्थ्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव,
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना ।

क्रमांक–2019

डा० सी०एन०गुप्ता, स०वि०स० स०वि०स० द्वारा दिनांक–23.03.18 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–द–163 का उत्तर ।

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
डा० सी०एन०गुप्ता स०वि०स० क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :–	श्री मंगल पाण्डेय माननीय मंत्री स्वास्थ्य विभाग, बिहार पटना
क्या यह बात सही है कि छपरा जिला के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, रेफरल अस्पताल सहित अन्य स्वास्थ्य केन्द्रों में चिकित्सक के कुल स्वीकृत 245 के विरुद्ध 109 पदों पर चिकित्सक पदस्थापित है तथा 136 पद रिक्त होने के कारण रोगियों को इलाज कराने में कठिनाई होती है, यदि हाँ तो सरकार उक्त जिला में स्वास्थ्य केन्द्र पर 136रिक्त पदों पर चिकित्सकों का कबतक प्रतिनियुक्त करने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?	स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि सारण जिलें में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, रेफरल अस्पताल, अनुमंडलीय अस्पताल एवं सदर अस्पताल में चिकित्सा पदाधिकारियों के कुल–245 पद स्वीकृत है तथा 109 पदों पर चिकित्सा पदाधिकारियों का पदस्थापना है। इसके अतिरिक्त 78 अनुबंध में नियोजित चिकित्सक भी सारण जिले में पदस्थापित है। उपलब्ध चिकित्सकों एवं संसाधनों के द्वारा जिलें में मरीजों का समुचित इलाज किया जाता है। राज्य में चिकित्सकों की भारी कमी है। चिकित्सकों की कमी को दूर करने हेतु राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार पटना द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अन्तर्गत विशेषज्ञ चिकित्सकों एवं राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत चिकित्सकों को संविदा पर नियोजित कर पदस्थापित किया जा रहा है। सामान्य चिकित्सकों की नियुक्ति राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा किया जा रहा है। साथ ही विभाग स्तर से भी अनुबंध के आधार पर चिकित्सा पदाधिकारियों/विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारियों के नियोजन हेतु विभागीय पत्रांक–74(2) दिनांक–25.1.17 के द्वारा भी निदेश दिया गया है। महिला चिकित्सक सहित सामान्य चिकित्सक शीघ्र नियुक्ति हेतु बिहार तकनीकी चयन आयोग के माध्यम से नियुक्ति का अनुरोध सामान्य प्रशासन विभाग से किया गया है।

क्रमांक–2021

श्री शिवचन्द्र राम, माननीय स0वि0स0 द्वारा बिहार विधानसभा से प्राप्त तारांकित प्रश्न सं0 द–174, का प्रश्नोत्तर ।

खंड	प्रश्नकर्त्ता श्री शिवचन्द्र राम, माननीय स0वि0स0 क्या मंत्री स्वास्थ्य विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि: –	उत्तरदाता श्री मंगल पाण्डेय, माननीय मंत्री स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना
(1)	क्या यह बात सही है कि वैशाली जिला अन्तर्गत सहदेईबुजुर्ग प्रखंड के पोहियार बुजुर्ग पंचायत में प्राथमिक स्वास्थ्य उपकेन्द्र, पोहियार का भवन जर्जर होने के कारण बगल के पुस्तकालय भवन में कार्यरत है;	आंशिक स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि पोहियार बुजुर्ग पंचायत में स्वास्थ्य उपकेन्द्र न होकर अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कार्यरत है, जो पुस्तकालय भवन में संचालित है।
(2)	क्या यह बात सही है कि भवन के लिए 2 एकड़ जमीन उपलब्ध होने के बाद भी उपर्युक्त स्वास्थ्य उपकेन्द्र का भवन का निर्माण नहीं हुआ है जिससे चिकित्सकों एवं कर्मचारियों का कार्य करने में परेशानी होती है;	स्वीकारात्मक है।
(3)	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार उपर्युक्त स्वास्थ्य उपकेन्द्र के भवन का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?	अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के भवन का निर्माण विहित प्रक्रियानुसार की जाएगी।

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

ज्ञापांक:– 10/प्र0(वि0स0) 13–90/2018 स्वा0, पटना, दिनांक:–

प्रतिलिपि–प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार विधान सभा को उनके ज्ञापांक 2452–53, दिनांक 14.03.2018 के प्रसंग में पाँच अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि–संसदीय कार्य विभाग, बिहार पटना/प्रशाखा पदाधिकारी–13 स्वास्थ्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव,
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना ।

क्रमांक–2022

श्री उमेश सिंह कुशवाहा, स०वि०स० स०वि०स० द्वारा दिनांक–23.03.18 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–द–166 का उत्तर ।

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
श्री उमेश सिंह कुशवाहा, स०वि०स० क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :–	श्री मंगल पाण्डेय माननीय मंत्री स्वास्थ्य विभाग, बिहार पटना
क्या यह बात सही है कि वैशाली जिला अन्तर्गत अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र रूपनारायणपुर (महनार) में एम०बी०बी०एस० चिकित्सक की प्रतिनियुक्ति नहीं है एवं आयुर्वेदिक चिकित्सक की प्रतिनियुक्ति सप्ताह में मात्र दो दिन है जिसके कारण मरीजों को चिकित्सीय सुविधा प्राप्त होने में कठिनाई होती है, यदि हाँ तो क्या सरकार उक्त स्वास्थ्य केन्द्र में एम०बी०बी०एस० चिकित्सक की प्रतिनियुक्ति एवं आयुर्वेदिक चिकित्सक की प्रतिनियुक्ति प्रतिदिन करने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?	**आंशिक स्वीकारात्मक है।** वस्तुस्थिति यह है कि वर्त्तमान में नवसृजित अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, महनार में एम०बी०बी०एस० चिकित्सक पदस्थापित नहीं है। एक आयुष चिकित्सक की प्रतिनियुक्ति सप्ताह में तीन दिन चिकित्सकीय कार्य करने हेतु की गई है। अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत एक एम०बी०बी०एस० चिकित्सक की संविदा के आधार पर नियुक्ति की गई थी, परन्तु संबंधित चिकित्सक के द्वारा योगदान नहीं करने के कारण एम०बी०बी०एस० चिकित्सक का पद रिक्त रह गया । पुनः रिक्ति प्रकाशित करते हुए एम०बी०बी०एस० चिकित्सक की नियुक्ति की प्रक्रिया सिविल सर्जन वैशाली द्वारा की जा रही है।

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

ज्ञापांक –2 / क्यू–66 /2018– पटना, दिनांक / / 2018

प्रतिलिपि, प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार विधान सभा सचिवालय, पटना के ज्ञापांक–2436–37 दिनांक–14.03.18 के प्रसंग में पांच प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि, संसदीय कार्य विभाग, बिहार पटना को सूचनार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि, प्रभारी अवर सचिव, विभागीय प्रशाखा–13 को सूचनार्थ प्रेषित ।

(जगदीश कुमार)
विशेष कार्य पदाधिकारी।

D>Sec-2>2018>Sec-2 Question2018 sabha

2023

सुश्री पुनम कुमारी उर्फ पुनम पासवान, माननीया स0वि0स0 से प्राप्त तारांकित प्रश्न सं0–द–157 का उत्तर।

	प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
खंड	सुश्री पुनम कुमारी उर्फ पुनम पासवान माननीया स0वि0स0	श्री मंगल पांडेय, माननीय मंत्री, स्वास्थ्य विभाग।
	क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि–	
1	क्या यह बात सही है कि कटिहार जिला के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र फलका में एम्बुलेंस नहीं रहने के कारण मरीजों को लाने एवं ले जाने में कठिनाई होती है, यदि हाँ तो क्या सरकार उक्त स्वास्थ्य केन्द्र में एम्बुलेंस की व्यवस्था करने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?	**उत्तर स्वीकारात्मक नहीं है।** वस्तुस्थिति यह है कि कटिहार जिला के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, फलका में एम्बुलेंस की सुविधा उपलब्ध है।

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

ज्ञापांकः–12/प0–क्यू–04–42/2018 /पटना, दिनांकः–......................

प्रतिलिपिः–उप सचिव, बिहार विधान सभा, सचिवालय, पटना के पत्रांक–2389–90 दिनांक–13.03.2018 के क्रम मे (पाँच अतिरिक्त प्रतियों सहित)/संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना (दो प्रति में)/प्रशाखा पदाधिकारी–13, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(अंजनी कुमार सिन्हा)
सरकार के अवर सचिव।

क्रमांक–2024 श्री ललित कुमार यादव, माननीय स0वि0स0 से प्राप्त तारांकित प्रश्न सं0 –द–176 का उत्तर

	प्रश्नकर्त्ता श्री ललित कुमार यादव, माननीय स0वि0स0	उत्तरदाता श्री मंगल पाण्डेय मंत्री स्वास्थ्य, विभाग।
(1)	क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :– क्या यह सही है कि मुजफ्फरपुर जिला के साहेबगंज पी0एच0सी0 में बिना पद सृजन के 49 लोगों की फर्जी बहाली कर दी गयी है;	• अस्वीकारात्मक है। • वस्तुस्थिति यह है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के अंतर्गत अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तर पर सुदूर देहाती क्षेत्र में कार्य को गति देने के उद्देश्य से स्थानीय रोगी कल्याण समिति के द्वारा वर्ष 2012 में जनहित में दो लोगों को दैनिक मजदूरी पर बिल्कुल अस्थायी रूप से रखा गया था।
(2)	क्या यह सही है कि उक्त बहाली के लिए नाईट गार्ड व सफाई कर्मी से 50 हजार से एक लाख तक की रिश्वत ली गई है;	• अस्वीकारात्मक है।
(3)	यदि उपर्युक्त खंडों का उत्तर स्वीकारात्मक है तो सरकार इसकी जाँच कराकर दोषी पर कार्रवाई करने का विचार रखती है नहीं तो क्यों ?	• उपरोक्त खंडों में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

ज्ञापांक–4/क्यू0–01–16/2018– /पटना, दिनांक– / /2018

प्रतिलिपि–प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार विधान सभा, सचिवालय, पटना के पत्रांक–2540–41 वि0स0 दिनांक–14.03.2018 के प्रसंग में (पांच अतिरिक्त प्रतियों में) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि–उप सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि–प्रशाखा पदाधिकारी–13, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव

क्रमांक–2026

श्रीमती एज्या यादव, स०वि०स० स०वि०स० द्वारा दिनांक–23.03.18 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–द–179 का उत्तर ।

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
श्रीमती एज्या यादव, स०वि०स० क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :–	श्री मंगल पाण्डेय माननीय मंत्री स्वास्थ्य विभाग, बिहार पटना
क्या यह बात सही है कि समस्तीपुर जिलान्तर्गत पटोरी प्रखंड मुख्यालय में स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में विगत 5 वर्षों से दो चिकित्सक का पद रिक्त है, यदि हाँ तो सरकार उक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर चिकित्सक की प्रतिनियुक्ति करने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों?	स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि समस्तीपुर जिलान्तर्गत पटोरी प्रखंड मुख्यालय में स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में 7 स्वीकृत पदों के विरुद्ध वर्त्तमान में दो नियमित चिकित्सक एवं एक अनुबंध पर नियोजित चिकित्सक पदस्थापित एवं कार्यरत है। राज्य में चिकित्सकों की भारी कमी है। चिकित्सकों की कमी को दूर करने हेतु राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार पटना द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अन्तर्गत विशेषज्ञ चिकित्सकों एवं राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत चिकित्सकों को संविदा पर नियोजित कर पदस्थापित किया जा रहा है। सामान्य चिकित्सकों की नियुक्ति राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा किया जा रहा है। साथ ही विभाग स्तर से भी अनुबंध के आधार पर चिकित्सा पदाधिकारियों/विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारियों के नियोजन हेतु विभागीय पत्रांक–74(2) दिनांक–25.1.17 के द्वारा भी निदेश दिया गया है।

	महिला चिकित्सक सहित सामान्य चिकित्सको के शीघ्र नियुक्ति हेतु बिहार तकनीकी चयन आयोग के माध्यम से नियुक्ति का अनुरोध भी सामान्य प्रशासन विभाग से किया गया है। इसके अतिरिक्त बिहार चिकित्सा सेवा/बिहार चिकित्सा शिक्षा सेवा से सेवानिवृत्त सामान्य चिकित्सकों एवं विशेषज्ञ चिकित्सकों के पद पर पुनः नियोजित करने हेतु विज्ञापन प्रकाशित कर अग्रेत्तर कार्रवाई की जा रही है।

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

ज्ञापांक –2/क्यू–58/2018– पटना, दिनांक / / 2018

प्रतिलिपि, प्रशाखा पदाधिकरी, बिहार विधान सभा सचिवालय, पटना के ज्ञापांक–2562–63 दिनांक–9.02.18 के प्रसंग में पांच प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि, संसदीय कार्य विभाग, बिहार पटना को सूचनार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि, प्रभारी अवर सचिव, विभागीय प्रशाखा–13 को सूचनार्थ प्रेषित ।

(जगदीश कुमार)
विशेष कार्य पदाधिकारी।

2031

बिहार विधान सभा के चालू सत्र में श्री अजीत शर्मा, स0वि0स0 द्वारा दिनांक–23.03.2018 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं0– द0–162 का प्रश्नोत्तर।

प्रश्नकर्त्ता		उत्तरदाता
श्री अजीत शर्मा, स0वि0स0		श्री मंगल पाण्डेय, माननीय मंत्री, स्वास्थ्य विभाग।
	क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :–	
	क्या यह बात सही है कि जवाहर लाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय, भागलपुर में हड्डी रोग, दन्त रोग, आँख, कान, नाक रोग, चर्म रोग विभागों में चिकित्सक के कुल 30 पद विगत 5 वर्षों से रिक्त है, यदि हाँ तो क्या सरकार उपर्युक्त विभागों में स्वीकृत पद के अनुरूप चिकित्सकों का पदस्थापित करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	स्वीकारात्मक है। वस्तुतः राज्य के चिकित्सा महाविद्यालयों के 25 विभागों में सहायक प्राध्यापक के कुल 1171 पदों पर नियुक्ति हेतु विभागीय पत्रांक–138(17) दिनांक–26. 02.2016 द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग को अधियाचना भेजी गयी है। बिहार लोक सेवा आयोग से अनुशंसा प्राप्त होते ही नियमित नियुक्ति से रिक्त पदों को भरे जाने की कार्रवाई की जायेगी। साथ ही स्वास्थ्य विभागीय पत्रांक–74(2) दिनांक– 25.01.2017 द्वारा राज्य के सभी चिकित्सा महाविद्यालयों के प्राचार्य को अपने–अपने महाविद्यालय के सभी विभागों के रिक्त पदों पर नियमित नियुक्ति/प्रोन्नति होने तक अनुबंध पर चिकित्सक शिक्षकों की नियुक्ति करने का निर्देश दिया गया है।

--------------X--------------

क्रमांक–2036

डा० शकील अहमद खाँ, स०वि०स० द–145, स०वि०स० द्वारा दिनांक–23.03.18 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–द–145 का उत्तर ।

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
डा० शकील अहमद खाँ, स०वि०स० क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :–	श्री मंगल पाण्डेय माननीय मंत्री स्वास्थ्य विभाग, बिहार पटना
क्या यह बात सही है कि कटिहार जिला में 16 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र है तथा प्रत्येक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर स्त्री रोग विशेषज्ञ चिकित्सक का एक पद स्वीकृत है लेकिन इन सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में से प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, कदवा को छोड़कर शेष 15 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में स्त्री रोग विशेषज्ञ का पद रिक्त है, जिसके कारण महिला रोगियों को काफी कठिनाई होती है, यदि हाँ तो क्या सरकार कटिहार जिला में स्थित 15 स्वास्थ्य केन्द्रों पर स्त्री रोग विशेषज्ञ की प्रतिनियुक्ति करने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों?	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में स्त्री रोग विशेषज्ञ का पद स्वीकृत है, जिसके विरुद्ध निम्नलिखित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में एम०बी०बी०एस० महिला चिकित्सक पदस्थापित हैं– प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, कदवा में डा० हरकिरंजीत कौर, प्रथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, कटिहार में डा० ममता कुमारी, रेफरल अस्पताल, बरारी में डा० फिरोजम तबस्सुम संविदा चिकित्सक , सदर अस्पताल बरसोई डा० रीमा सिरकर, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कुरसेल में डा० सुस्मीता सौरभ, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बलरामपुर, में डा० खुशबू, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र अजमनगर में डा० उर्मी पोद्दार पदस्थापित है। राज्य में महिला चिकित्सक की भारी कमी है, राज्य में स्वास्थ्य सेवा में अपेक्षित सुधार लाने हेतु नियमित चिकित्सकों के अतिरिक्त राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार पटना द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अन्तर्गत चिकित्सकों को संविदा पर नियोजित कर पदस्थापित किया जा रहा है। साथ ही विभाग स्तर से भी अनुबंध के आधार पर चिकित्सा पदाधिकारियों/विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारियों के नियोजन हेतु सभी संबंधित को विभागीय पत्रांक–74(2) दिनांक–25.1.17 के द्वारा भी निदेश दिया गया है। महिला चिकित्सक सहित सामान्य चिकित्सको के शीघ्र नियुक्ति हेतु बिहार तकनीकी चयन आयोग के माध्यम से नियुक्ति का अनुरोध भी सामान्य प्रशासन विभाग से किया गया है।

	इसके अतिरिक्त बिहार चिकित्सा सेवा/बिहार चिकित्सा शिक्षा सेवा से सेवानिवृत्त सामान्य चिकित्सकों/विशेषज्ञ चिकित्सकों एवं महिला चिकित्सकों के पद पर पुनः नियोजित करने हेतु विज्ञापन प्रकाशित कर अग्रेत्तर कार्रवाई की जा रही है।

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

ज्ञापांक–2/क्यू–52/2018– पटना, दिनांक / / 2018

प्रतिलिपि, प्रशाखा पदाधिकरी, बिहार विधान सभा सचिवालय, पटना के ज्ञापांक–2158–59 दिनांक–9.02.18 के प्रसंग में पांच प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि, संसदीय कार्य विभाग, बिहार पटना को सूचनार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि, प्रभारी अवर सचिव, विभागीय प्रशाखा–13 को सूचनार्थ प्रेषित ।

(जगदीश कुमार)
विशेष कार्य पदाधिकारी।

D>Sec-2>2018>Sec-2 Question2018 sabha

2042

श्रीमती सावित्री देवी, माननीया स0वि0स0 से प्राप्त तारांकित प्रश्न सं0–द–164 का उत्तर।

	प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
खंड	श्रीमती सावित्री देवी, माननीया स0वि0स0	श्री मंगल पांडेय, माननीय मंत्री, स्वास्थ्य विभाग।
	क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि–	
1	क्या यह बात सही है कि जमुई जिलान्तर्गत रेफरल अस्पताल, चकाई में अल्ट्रासाउंड मशीन नहीं रहने के कारण मरीजों को अन्य अस्पताल में जाना पड़ता है, यदि हाँ तो क्या सरकार चकाई रेफरल अस्पताल में अल्ट्रासाउंड मशीन की व्यवस्था कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?	उत्तर आंशिक स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि जमुई जिलान्तर्गत रेफरल अस्पताल, चकाई में अल्ट्रासाउंड मशीन उपलब्ध नहीं है। रेडियोलॉजी सेवाओं के लोक निजी साझेदारी के तहत् अनुबंधित एजेन्सी मेसर्स आई0जी0ई0 मेडिकल सिस्टम सिलवासा द्वारा अल्ट्रासाउंड मशीन अधिष्ठापित कर अल्ट्रासाउंड की सुविधा प्रदान की जानी थी, परन्तु उक्त एजेन्सी द्वारा अल्ट्रासाउंड मशीन अधिष्ठापित नहीं किया जा सका। उक्त एजेन्सी अनुबंध की अवधि दिनांक–25 अप्रैल, 2018 को समाप्त हो रही है। 25 अप्रैल, 2018 के पश्चात् अल्ट्रासाउंड की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु सुयोग्य एजेन्सी के चयन की कार्रवाई की जा रही है। नये एजेन्सी के चयन के उपरान्त रेफरल अस्पताल, चकाई, जमुई में अल्ट्रासाउंड की सुविधा उपलब्ध करा दी जायेगी। उल्लेखनीय है कि PC & PNDT Act, 1994 के तहत् अल्ट्रासाउंड मशीन का संचालन Sonologist विशेषज्ञ के उपलब्ध होने पर ही किया जा सकता है।

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

ज्ञापांकः–12/प0–क्यू–04–40/2018 /पटना, दिनांकः–....................

प्रतिलिपिः–उप सचिव, बिहार विधान सभा, सचिवालय, पटना के पत्रांक–2403–04 दिनांक–13.03.2018 के क्रम मे (पाँच अतिरिक्त प्रतियों सहित)/संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना (दो प्रति में)/प्रशाखा पदाधिकारी–13, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(अंजनी कुमार सिन्हा)
सरकार के अवर सचिव।

2043

डा0 मो0 नवाज आलम, माननीय स0वि0स0 से प्राप्त तारांकित प्रश्न सं0–द–158 का उत्तर।

	प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
खंड	डा0 मो0 नवाज आलम, माननीय, स0वि0स0	श्री मंगल पांडेय, माननीय मंत्री, स्वास्थ्य विभाग।
	क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि–	
1	क्या यह बात सही है कि पूरे राज्य में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत संविदा पर नियुक्त पदाधिकारियों और कर्मियों के मानदेय में बढ़ोत्तरी के लिए फिटमेंट कमिटी का गठन किया गया था ?	**उत्तर आंशिक स्वीकारात्मक है।** वस्तुस्थिति यह है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन राज्य स्वास्थ्य समिति के अन्तर्गत संविदा आधारित कर्मियों के मानदेय विसंगति के निराकरण हेतु फिटमेंट कमिटी/निराकरण कमिटी का गठन किया गया है।
2	क्या यह बात सही है कि फिटमेंट कमिटी द्वारा राज्य, क्षेत्रीय, जिला, प्रखंड एवं उपकेन्द्र स्तर तक संविदागत कर्मियों के मानदेय में 40 प्रतिशत मासिक वृद्धि की अनुशंसा ज्ञापांक–8554, दिनांक–31.03.2017 के तहत की गयी है ?	**उत्तर स्वीकारात्मक है।** वस्तुस्थिति यह है कि भारत सरकार को पूरक कार्यक्रम कार्यान्चयन योजना (Supplementry Programme Implementation Plan) 2017-18 में 40 % मानदेय वृद्धि का प्रस्ताव भेजा गया था, जिसे स्वीकृत नहीं किया गया है। भारत सरकार से इस संदर्भ में पुनः अनुरोध किया जायेगा।
3	यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार उपर्युक्त वर्णित अनुशंसा को पूरे राज्य में लागू कराने का विचार रखती है, हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों ?	उपर्युक्त खंडों में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

ज्ञापांकः–12/प0–क्यू–04–43/2018 /पटना, दिनांकः–...................

प्रतिलिपिः–उप सचिव, बिहार विधान सभा, सचिवालय, पटना के पत्रांक–2391–92 दिनांक–13.03.2018 के क्रम मे (पाँच अतिरिक्त प्रतियों सहित)/संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना (दो प्रति में)/प्रशाखा पदाधिकारी–13, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(अंजनी कुमार सिन्हा)
सरकार के अवर सचिव।

2044

श्री सुदामा प्रसाद, माननीय स0वि0स0 से प्राप्त तारांकित प्रश्न सं0–द–155 का उत्तर।

खंड	प्रश्नकर्त्ता श्री सुदामा प्रसाद, माननीय स0वि0स0	उत्तरदाता श्री मंगल पांडेय, माननीय मंत्री, स्वास्थ्य विभाग।
	क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि–	
1	क्या यह बात सही है कि तरारी विधान सभा में स्थित सदर अस्पताल एवं स्वास्थ्य उपकेन्द्र में आउट सोर्सिंग के तहत साफ–सफाई एवं अन्य कार्य निजी एन0जी0ओ0 से कराया जाता है,	**उत्तर आंशिक स्वीकारात्मक है।** वस्तुस्थिति यह है कि तरारी विधान सभा क्षेत्र में सदर अस्पताल नहीं है। वहाँ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र है। जहाँ एन0जी0ओ0 के द्वारा आउटसोर्सिंग के माध्यम से साफ–सफाई का कार्य किया जा रहा है। स्वास्थ्य उपकेन्द्रों पर एन0जी0ओ0 के द्वारा कार्य कराने का प्रावधान नहीं है।
2	क्या यह बात सही है कि उक्त विधान सभा के स्वास्थ्य केन्द्रों में एन0जी0ओ0 के द्वारा मानक के अनुरूप कार्य नहीं कराया जाता है तथा फर्जी बिल बनाकर सरकारी राशि का गबन किया जा रहा है ?	**उत्तर स्वीकारात्मक नहीं है।** इस मामले में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।
3	यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर दोषी पर कार्रवाई करना चाहती है, हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों ?	उपर्युक्त खंडों में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

ज्ञापांकः–12/प0–क्यू–04–41/2018 /पटना, दिनांकः–.....................

प्रतिलिपिः–उप सचिव, बिहार विधान सभा, सचिवालय, पटना के पत्रांक–2385–86 दिनांक–13.03.2018 के क्रम मे (पाँच अतिरिक्त प्रतियों सहित)/संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना (दो प्रति में)/प्रशाखा पदाधिकारी–13, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(अंजनी कुमार सिन्हा)
सरकार के अवर सचिव।

क्रमांक–2045

श्रीमती एज्या यादव, स०वि०स० स०वि०स० द्वारा दिनांक–23.03.18 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–द–180 का उत्तर ।

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
श्रीमती एज्या यादव, स०वि०स० क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :–	श्री मंगल पाण्डेय माननीय मंत्री स्वास्थ्य विभाग, बिहार पटना
क्या यह बात सही है कि समस्तीपुर जिलान्तर्गत मोहिउद्दीन प्रखंड मुख्यालय में स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर दो चिकित्सक का पद 4 वर्षों से रिक्त है यदि हाँ, तो सरकार उक्त स्वास्थ्य केन्द्र पर चिकित्सक की प्रतिनियुक्ति करने का विचार रखती हे, नहीं तो क्यों ?	स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि समस्तीपुर जिलान्तर्गत मोहिउद्दीन प्रखंड मुख्यालय में स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में कुल 7 स्वीकृत पद के विरुद्ध तीन नियमित चिकित्सक एवं दो अनुबंध पर नियोजित चिकित्सक पदस्थापित है। राज्य में चिकित्सकों की भारी कमी है। चिकित्सकों की कमी को दूर करने हेतु राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार पटना द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अन्तर्गत विशेषज्ञ चिकित्सकों एवं राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत चिकित्सकों को संविदा पर नियोजित कर पदस्थापित किया जा रहा है। सामान्य चिकित्सकों की नियुक्ति राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा किया जा रहा है। साथ ही विभाग स्तर से भी अनुबंध के आधार पर चिकित्सा पदाधिकारियों/विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारियों के नियोजन हेतु विभागीय पत्रांक–74(2) दिनांक–25.1.17 के द्वारा भी निदेश दिया गया है।

	महिला चिकित्सक सहित सामान्य चिकित्सको के शीघ्र नियुक्ति हेतु बिहार तकनीकी चयन आयोग के माध्यम से नियुक्ति का अनुरोध भी सामान्य प्रशासन विभाग से किया गया है। इसके अतिरिक्त बिहार चिकित्सा सेवा/बिहार चिकित्सा शिक्षा सेवा से सेवानिवृत्त सामान्य चिकित्सकों एवं विशेषज्ञ चिकित्सकों के पद पर पुनः नियोजित करने हेतु विज्ञापन प्रकाशित कर अग्रेत्तर कार्रवाई की जा रही है।

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

ज्ञापांक –2/क्यू– 59/2018– पटना, दिनांक / / 2018

प्रतिलिपि, प्रशाखा पदाधिकरी, बिहार विधान सभा सचिवालय, पटना के ज्ञापांक–2564–65 दिनांक– 9.02.18 के प्रसंग में पांच प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि, संसदीय कार्य विभाग, बिहार पटना को सूचनार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि, प्रभारी अवर सचिव, विभागीय प्रशाखा–13 को सूचनार्थ प्रेषित ।

(जगदीश कुमार)
विशेष कार्य पदाधिकारी।

D>Sec-2>2018>Sec-2 Question2018 sabha

2048

माननीय श्री संजय सरावगी, स0वि0स0 से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या–द–74

खण्ड	प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
	श्री संजय सरावगी, स0वि0स0	श्री मंगल पाण्डेय, मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, बिहार
	क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–	
(1)	क्या यह बात सही है कि डीएमसीएच, दरभंगा के रेडियोलॉजी विभाग में डिजिटल एक्स–रे मशीन पिछले 4 वर्षों से बन्द पड़ा है, जिसके कारण मरीजों को अस्पताल से बाहर जाकर डिजिटल एक्स–रे कराना पड़ता है ;	आंशिक स्वीकारात्मक है। रेडियोलॉजी विभाग में स्थापित डिजिटल एक्स–रे मशीन सितम्बर, 2016 तक कार्यरत रहा है। तत्पश्चात तकनीकी कारणों से बन्द था। दिनांक–14.03.2018 से सेवा चालू हो गया है तथा मरीजों को इसकी सुविधा मिल रही है।
(2)	यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार उक्त वर्णित बन्द पड़े डिजिटल एक्स–रे मशीन को अविलम्ब चालू कराने और मशीन बन्द रहने के लिए दोषी पदाधिकारियों को चिन्हित कर कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों ?	उपर्युक्त कंडिका में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

ज्ञापांक:–1/क्यू0–12/2018–   /स्वा0, पटना, दिनांक–   /   /2018

प्रतिलिपि:– प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार विधान सभा, पटना को उनके ज्ञापांक–1523–24 वि0स0, पटना, दिनांक–23.02.2018 के प्रसंग में 5 प्रतियों में सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:– उप सचिव/अवर सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:– प्रशाखा पदाधिकारी–13, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

क्रमांक–2050

श्रीमती सावित्री देवी, माननीया स0वि0स0 द्वारा बिहार विधानसभा से प्राप्त तारांकित प्रश्न सं0 द–159, का प्रश्नोत्तर ।

खंड	प्रश्नकर्त्ता श्रीमती सावित्री देवी, माननीया स0वि0स0 क्या मंत्री स्वास्थ्य विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि: –	उत्तरदाता श्री मंगल पाण्डेय, माननीय मंत्री स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना
	क्या यह बात सही है कि जमुई जिलान्तर्गत चकाई प्रखंड के बाधा पतार एवं मोहबदिया में स्थित स्वास्थ्य उपकेन्द्र का भवन जीर्ण–शीर्ण अवस्था में है, यदि हाँ तो क्या सरकार उक्त स्वास्थ्य उपकेन्द्र के भवनों का जीर्णोद्धार कराने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?	आंशिक स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि स्वास्थ्य उपकेन्द्र, बाधा पथार का भवन नवनिर्मित है जबकि स्वास्थ्य उपकेन्द्र, महमदिया का भवन मरम्मति योग्य है। विहित प्रक्रियानुसार स्वास्थ्य उपकेन्द्र, महमदिया के भवन का जीर्णोद्धार की कार्रवाई शीघ्र प्रारंभ की जाएगी।

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

ज्ञापांकः– 10/प्र0(वि0स0) 13–86/2018 स्वा0, पटना, दिनांकः–

प्रतिलिपि–प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार विधान सभा को उनके ज्ञापांक 2393–94, दिनांक 13.03.2018 के प्रसंग में पाँच अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि–संसदीय कार्य विभाग, बिहार पटना/प्रशाखा पदाधिकारी–13 स्वास्थ्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव,
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना ।

2051

श्री जीवेश कुमार, माननीय स०वि०स० द्वारा बिहार विधान सभा में दिनांक 23.03.2018 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं०–द–127

विभागीय ज्ञापांक 267 (आ०चि०) दिनांक 12.03.2018 द्वारा पंचायती राज विभाग को स्थानांतरित।

D:\Setu D.E.O\Irshad\Vidhan Sabha Ques..docx

2052

माननीय श्रीमती लेशी सिंह, स0वि0स0 से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या– द–123

खण्ड	प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
	श्रीमती लेशी सिंह, स0वि0स0	श्री मंगल पाण्डेय, मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, बिहार
	क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–	
(1)	क्या यह बात सही है कि राज्य सरकार द्वारा पूर्णियाँ, सीतामढ़ी, भोजपुर, बेगूसराय, महुआ, मधुबनी, छपरा में नये मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा वर्ष 2014 में की गई थी ;	आंशिक स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति है कि सीतामढ़ी, भोजपुर, बेगूसराय, महुआ एवं मधुबनी में चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल खोलने की घोषणा वर्ष 2015 में की गई थी।
(2)	क्या यह बात सही है कि स्वास्थ्य विभाग ने सभी जिलों के जिला पदाधिकारी को पत्र लिखकर प्रत्येक मेडिकल कॉलेज के लिए 20 एकड़ सरकारी जमीन उपलब्ध कराने की माँग की गई थी ;	स्वीकारात्मक है।
(3)	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो अबतक मेडिकल कॉलेज निर्माण का कार्य प्रारम्भ नहीं करने का औचित्य क्या है ?	पूर्णियाँ एवं छपरा में चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल की स्थापना हेतु निविदा आमंत्रित किया जा चुका है। निविदा सम्पादित होते ही निर्माण कार्य प्रारम्भ हो जायेगा। सीतामढ़ी, भोजपुर, बेगूसराय, महुआ एवं मधुबनी में चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल की स्थापना हेतु अंतिम रूप से भूमि का चयन नहीं हो पाया है। भूमि चयन होते ही आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जायेगी।

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

ज्ञापांकः–1/क्यू0–22/2018– /स्वा0, पटना, दिनांक– / /2018

प्रतिलिपिः– प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार विधान सभा, पटना को उनके ज्ञापांक–2003–04 वि0स0, पटना, दिनांक–07.03.2018 के प्रसंग में 5 प्रतियों में सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– उप सचिव/अवर सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– प्रशाखा पदाधिकारी–13, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

2053

श्री विजय प्रकाश, माननीय स0वि0स0 से प्राप्त तारांकित प्रश्न सं0–द–160 का उत्तर।

खंड	प्रश्नकर्त्ता श्री विजय प्रकाश, माननीय, स0वि0स0	उत्तरदाता श्री मंगल पांडेय, माननीय मंत्री, स्वास्थ्य विभाग।
	क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि–	
1	क्या यह बात सही है कि जमुई जिला के सदर अस्पताल जमुई का निरीक्षण दिनांक–29.04.2016 को प्रश्नकर्त्ता सदस्य एवं अनुमंडल पदाधिकारी, जमुई के द्वारा किया गया था, जिसमें अस्पताल प्रबंधन में कुव्यवस्था से संबंधित प्रतिवेदन अनुमंडलाधिकारी, जमुई के द्वारा स्वास्थ्य विभाग को मई, 2016 में प्राप्त करा दिया गया था, परन्तु अभी तक उक्त अस्पताल के प्रबंध में कुव्यवस्था को दूर नहीं किया गया है, यदि हाँ तो क्या सरकार उक्त अस्पताल में कुव्यवस्था को दूर कर इसके लिए जिम्मेवार पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?	**उत्तर स्वीकारात्मक है।** वस्तुस्थिति यह है कि निरीक्षण प्रतिवेदन के आलोक में संबंधित कर्मियों से कारण–पृच्छा किया गया था। तत्पश्चात् राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना के द्वारा एक जांच दल का गठन किया गया। प्रतिवेदित बिन्दुओं के आधार पर जांच की गई थी। जांच प्रतिवेदन से स्पष्ट हुआ कि साफ–सफाई एवं कपड़ा धुलाई संबंधी कुव्यवस्था तत्कालीन आउटसोर्सिंग एजेन्सी के कर्मियों के अनुपस्थिति के कारण हुआ था। इस निरीक्षण के पश्चात् आउटसोर्सिंग एजेन्सी को हटाकर नये आउटसोर्सिंग के द्वारा अस्पताल की साफ–सफाई, पथ्य सेवा एवं कपड़ा धुलाई की व्यवस्था सुचारू रूप से उपलब्ध करायी जा रही है।

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

ज्ञापांकः–12/प0–क्यू–04–44/2018 /पटना, दिनांकः–.....................

प्रतिलिपिः–उप सचिव, बिहार विधान सभा, सचिवालय, पटना के पत्रांक–2395–96 दिनांक–13.03.2018 के क्रम मे (पाँच अतिरिक्त प्रतियों सहित)/संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना (दो प्रति में)/प्रशाखा पदाधिकारी–13, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(अंजनी कुमार सिन्हा)
सरकार के अवर सचिव।

क्रमांक—2055

श्री प्रो० चन्द्रशेखर, माननीय स०वि०स० द्वारा बिहार विधानसभा से प्राप्त तारांकित प्रश्न सं0 द—173, का प्रश्नोत्तर ।

खंड	प्रश्नकर्त्ता श्री प्रो० चन्द्रशेखर, माननीय स०वि०स० क्या मंत्री स्वास्थ्य विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि: —	उत्तरदाता श्री मंगल पाण्डेय, माननीय मंत्री स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना
(1)	क्या यह बात सही है कि मधेपुरा जिलान्तर्गत धैलाढ़ प्रखंड के बरदाहा गोठ टोला में छः (6) बेड का अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र संचालित है;	स्वीकारात्मक है।
(2)	क्या यह बात सही है कि जमीन उपलब्ध रहने के बावजूद भी भवन के अभाव में स्वास्थ्य केन्द्र भाड़े के छोटे मकान में चल रहा है;	स्वीकारात्मक है।
(3)	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार जनहित में इसके लिए भवन बनाने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?	अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हेतु भूमि उपलब्ध है, विहित प्रक्रियानुसार अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बरदाहा का भवन निर्माण कराया जाएगा।

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

ज्ञापांकः— 10 / प्र0(वि0स0) 13—92 / 2018 स्वा0, पटना, दिनांकः—

प्रतिलिपि—प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार विधान सभा को उनके ज्ञापांक 2450—51, दिनांक 14.03.2018 के प्रसंग में पाँच अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि—संसदीय कार्य विभाग, बिहार पटना / प्रशाखा पदाधिकारी—13 स्वास्थ्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव,
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना ।

क्रमांक—2057

श्री हरिशंकर यादव, माननीय स0वि0स0 द्वारा बिहार विधानसभा से प्राप्त तारांकित प्रश्न सं0 द—118, का प्रश्नोत्तर ।

खंड	प्रश्नकर्त्ता श्री हरिशंकर यादव, माननीय स0वि0स0 क्या मंत्री स्वास्थ्य विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि: —	उत्तरदाता श्री मंगल पाण्डेय, माननीय मंत्री स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना
	क्या यह बात सही है कि सीवान जिलान्तर्गत स्टेट हाइवे—89 सड़क जो प्रखंड हसनपुरा से सीवान मुख्यालय के 25 कि०मी० दूरी तक के सड़क मार्ग में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र नहीं रहने के कारण दुर्घटना होने की स्थिति में आपातकालीन स्वास्थ्य सुविधा मिलने में कठिनाई होती है, यदि हाँ तो क्या सरकार हसनपुरा से सीवान तक स्टेट हाइवे—89 के बीच प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?	आंशिक स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि सीवान मुख्यालय से प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, हसनपुरा की दूरी लगभग सतरह किलोमीटर है एवं वहाँ पर एम्बुलेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्रखंड स्तरीय होता है। अतएव स्टेट हाइवे—89 पर अलग से कोई प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की योजना सरकार के समक्ष विचाराधीन नहीं है।

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

ज्ञापांकः— 10/प्र0(वि0स0) 13—64/2018 स्वा0, पटना, दिनांकः—

प्रतिलिपि—प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार विधान सभा को उनके ज्ञापांक 1947—48, दिनांक 07.03.2018 के प्रसंग में पाँच अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि—संसदीय कार्य विभाग, बिहार पटना/प्रशाखा पदाधिकारी—13 स्वास्थ्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव,
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना ।

2062

श्री ललन पासवान, माननीय स0वि0स0 से प्राप्त तारांकित प्रश्न सं0–द–129 का उत्तर।

	प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
खंड	श्री ललन पासवान, माननीय स0वि0स0	श्री मंगल पांडेय, माननीय मंत्री, स्वास्थ्य विभाग।
	क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि–	
1	क्या यह बात सही है कि रोहतास जिला में राष्ट्रीय बाल सुरक्षा कार्यक्रम के तहत् रोहतास में संविदा पर बहाल होने वाले 95 बाल सुरक्षा स्वास्थ्य कर्मियों की जगह 102 की बहाली कर ली गयी है, यदि हाँ तो क्या सरकार उक्त नियुक्ति की जाँच कर दोषी पदाधिकारियों पर कब तक कार्रवाई करने का विचार रखती है, नही तो क्यों ?	**उत्तर स्वीकारात्मक नहीं है।** वस्तुस्थिति यह है कि राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना के द्वारा कुल 103 चयनित अभ्यर्थियों की सूची जिला स्वास्थ्य समिति, रोहतास को उपलब्ध करायी गयी थी, जिसके आलोक में 103 कर्मियों का पदस्थापन किया गया है। एक कर्मी द्वारा त्याग–पत्र दिया गया है। वर्त्तमान में 102 कर्मी कार्यरत हैं।

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

ज्ञापांक:–12 / प0–क्यू–04–36 / 2018 / पटना, दिनांक:–....................

प्रतिलिपि:–उप सचिव, बिहार विधान सभा, सचिवालय, पटना के पत्रांक–2015–16 दिनांक–07.03.2018 के क्रम मे (पाँच अतिरिक्त प्रतियों सहित) / संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना (दो प्रति में) / प्रशाखा पदाधिकारी–13, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(अंजनी कुमार सिन्हा)
सरकार के अवर सचिव।

क्रमांक–2064

श्री अरुण कुमार स०वि०स० द्वारा दिनांक–23.03.18 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–द–188 का उत्तर ।

	प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
खण्ड	श्री अरुण कुमार, स०वि०स० क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :–	श्री मंगल पाण्डेय माननीय मंत्री स्वास्थ्य विभाग, बिहार पटना
1.	क्या यह बात सही है कि कजला सहरसा के प्रखण्ड कहरा एवं सौरबाजार स्थित अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र वरियाही एवं सौरबाजार में महिला चिकित्सक नहीं रहने के कारण महिलाओं को कठिनाई होती है,	अस्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि सहरसा जिले के कहरा एवं सौरबाजार में अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र वरियाही एवं सौरबाजार स्वीकृत नहीं है। वस्तुतः कहरा प्रखंड में तीन अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत है जो निम्नवतः है–अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, खड़गपुर (सदर प्रखण्ड) अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, भरौली (सदर प्रखंड) अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बनगाँव (सदर प्रखंड) नव सृजित सौरबाजार प्रखंड में निम्नांकित दो अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत है, जो निम्नवत है। (1) अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, रौता खेग (सौरबाजार) अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, गम्हरिया, सौरबजार । उक्त अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में महिला चिकित्सक का पद स्वीकृत नहीं है। स्वीकृत पद के विरुद्ध एक–एक चिकित्सक पदस्थापित एवं कार्यरत है।

D>Sec-2>2018>Sec-2 Question2018 sabha

2.	यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार उक्त दोनों स्वास्थ्य केन्द्रों में महिला चिकित्सक प्रतिनियुक्त करने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों?	**उपर्युक्त खंडों में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।**

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

ज्ञापांक –2 / क्यू– 60/2019– पटना, दिनांक / / 2018

प्रतिलिपि, प्रशाखा पदाधिकरी, बिहार विधान सभा सचिवालय, पटना के ज्ञापांक–2580–81 दिनांकः–15.03.2018 के प्रसंग में पांच प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि, संसदीय कार्य विभाग, बिहार पटना को सूचनार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि, प्रभारी अवर सचिव, विभागीय प्रशाखा–13 को सूचनार्थ प्रेषित ।

(जगदीश कुमार)
विशेष कार्य पदाधिकारी।

D>Sec-2>2018>Sec-2 Question2018 sabha

क्रमांक–2066

श्री राम विशुन सिंह, माननीय स0वि0स0 द्वारा बिहार विधानसभा से प्राप्त तारांकित प्रश्न सं0 द–171, का प्रश्नोत्तर ।

खंड	प्रश्नकर्त्ता श्री राम विशुन सिंह, माननीय स0वि0स0 क्या मंत्री स्वास्थ्य विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि: –	उत्तरदाता श्री मंगल पाण्डेय, माननीय मंत्री स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना
	क्या यह बात सही है कि भोजपुर जिलान्तर्गत जगदीशपुर प्रखंड में अवस्थित रेफरल अस्पताल का भवन जर्जर अवस्था में है, यदि हाँ तो क्या सरकार उक्त अस्पताल के भवन की मरम्मति नये सिरे से कराने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?	स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि रेफरल अस्पताल, जगदीशपुर से नवनिर्मित अनुमंडलीय अस्पताल, जगदीशपुर की दूरी मात्र पाँच किलोमीटर है, जहाँ विशेषज्ञ चिकित्सकों के माध्यम से बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है। अतएव तत्काल रेफरल अस्पताल के जर्जर भवन की मरम्मति कराने की योजना नहीं है।

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

ज्ञापांक:– 10/प्र0(वि0स0) 13–89/2018 स्वा0, पटना, दिनांक:–

प्रतिलिपि–प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार विधान सभा को उनके ज्ञापांक 2446–47, दिनांक 14.03.2018 के प्रसंग में पाँच अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि–संसदीय कार्य विभाग, बिहार पटना/प्रशाखा पदाधिकारी–13 स्वास्थ्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव,
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना ।

क्रमांक– 2068

श्रीमती गायत्री देवी, स०वि०स० द्वारा दिनांक–23.03.18 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–द–62 का उत्तर ।

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
श्रीमती गायत्री देवी स०वि०स० क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :–	श्री मंगल पाण्डेय माननीय मंत्री स्वास्थ्य विभाग, बिहार पटना
क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिला के परिहार प्रखण्ड नरंगा ग्राम में अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का भवन बनकर तैयार है परन्तु स्वास्थ्य केन्द्र में पदस्थापित चिकित्सक एवं स्वास्थ्य कर्मी के अनुपस्थित रहने के कारण मरीजों को चिकित्सीय सुविधा का लाभ नहीं मिलता है, यदि हाँ तो क्या सरकार नरंगा अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के नवमिर्मित भवन में चिकित्सक एवं स्वास्थ्य कर्मी की उपस्थिति सुनिश्चित कराकर स्वास्थ्य सेवा का लाभ मरीजों को देने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों?	आंशिक स्वीकरात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि सीतामढ़ी जिला के परिहार प्रखण्ड अन्तर्गत अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, नरंगा का भवन बनकर तैयार है जिसके विधिवत हस्तान्तरण के कार्रवाई की जा रही है। वर्त्तमान में उपस्वास्थ्य केन्द्र नरंगा में ही अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, नरंगा का संचालन किया जा रहा है। अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, नरंगा में डा० समी अहमद चिकित्सा पदाधिकारी, श्रीमती मीणाबाला ए०एन०एम० एवं श्री रमेश कुमार लिपिक पदस्थापित एवं कार्यरत है।

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

ज्ञापांक –2/क्यू–25/2018– पटना, दिनांक / / 2018

प्रतिलिपि, प्रशाखा पदाधिकरी, बिहार विधान सभा सचिवालय, पटना के ज्ञापांक–1356–57 दिनांक–15.02.18 के प्रसंग में पांच प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि, संसदीय कार्य विभाग, बिहार पटना को सूचनार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि, प्रभारी अवर सचिव, विभागीय प्रशाखा–13 को सूचनार्थ प्रेषित ।

(जगदीश कुमार)
विशेष कार्य पदाधिकारी।

D>Sec-2>2018>Sec-2 Question2018 sabha

2072

मानननीय श्री अख्तरूल इस्लाम शाहीन, स0वि0स0 से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या–द–120

खण्ड	प्रश्नकर्त्ता श्री अख्तरूल इस्लाम शाहीन, स0वि0स0	उत्तरदाता श्री मंगल पाण्डेय, मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, बिहार
	क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–	
(1)	क्या यह बात सही है कि वर्ष 2015 में सरकार द्वारा समस्तीपुर जिला में मेडिकल कॉलेज खोलने का निर्णय लिया गया था ;	स्वीकारात्मक है।
(2)	क्या यह बात सही है कि उक्त निर्णय के आलोक में वर्ष 2017 में जिलाधिकारी, समस्तीपुर द्वारा समस्तीपुर जिला मुख्यालय के जितवारपुर में अवस्थित नगर विकास एवं आवास विभाग के अधीन हाउसिंग बोर्ड की जमीन में मेडिकल कॉलेज खोलने का प्रस्ताव स्वास्थ्य विभाग को भेजा था ;	स्वीकारात्मक है।
(3)	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार उक्त प्रस्तावित स्थल पर जनहित में मेडिकल कॉलेज खोलने का विचार रखती है, हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों ?	समस्तीपुर में चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल की स्थापना हेतु भूमि चयन का प्रस्ताव अभी विचाराधीन है। शीघ्र निर्णय लिया जायेगा।

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

ज्ञापांक:–1/क्यू0–21/2018–   /स्वा0, पटना, दिनांक–   /   /2018

प्रतिलिपि:– प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार विधान सभा, पटना को उनके ज्ञापांक–1997–98 वि0स0, पटना, दिनांक–07.03.2018 के प्रसंग में 5 प्रतियों में सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:– उप सचिव/अवर सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:– प्रशाखा पदाधिकारी–13, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

श्री नौशाद आलम, माननीय स0वि0स0 से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या–च–6 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्या मंत्री, योजना एवं विकास विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि	उत्तर
(क) क्या यह सही है कि मधुबनी जिलान्तर्गत खुटौना प्रखंड के ग्राम बाघा कुसमार में सामाजिक कार्यकर्त्ता स्व0 अयुब जफर के नाम से शहीद स्मारक गेट का निर्माण वर्ष 1998 में कराया गया था, जो अब जीर्णशीर्ण अवस्था में है, यदि हाँ तो क्या सरकार उक्त शहीद स्मारक गेट का जीर्णोद्धार कराने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?	आंशिक स्वीकारात्मक। जिला योजना पदाधिकारी, मधुबनी से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार मधुबनी जिलान्तर्गत खुटौना प्रखंड के ग्राम बाघा कुसमार में सामाजिक कार्यकर्त्ता स्व0 अयुब जफर के नाम से शहीद स्मारक गेट का निर्माण की अनुशंसा पूर्व सांसद श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव द्वारा दिनांक 25.07.2000 को की गयी। इस अनुशंसा के आलोक में विषयगत योजना की प्रशासनिक स्वीकृति सांसद निधि से दिनांक 23.09.2000 को दी गई है। प्रखंड विकास पदाधिकारी, खुटौना के प्रतिवेदन के अनुसार योजना वर्ष 2001–02 में पूर्ण कर ली गयी है। शहीद स्मारक गेट जीर्ण शीर्ण अवस्था में नहीं है। वर्तमान में रंग रोगन की आवश्यकता है। सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना एवं मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना की मार्गदर्शिका में जीर्णोद्धार का कार्य प्रतिबंधित है।

बिहार विधान सभा से प्राप्त तारांकित प्रश्न	
श्री संजय सरावगी, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–23.03.2018 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न सं0–पुन–47 क्या मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–	**दिनेश चन्द्र यादव** माननीय मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना।
प्रश्न	**उत्तर**
1. क्या यह बात सही है कि आपदा प्रबंधन विभाग के पत्रांक–2954 दिनांक–05.07.2016 द्वारा आपदा प्रबंधन विभाग ने राज्य के 24 नये जिलों को सबसे संवेदनशील मानते हुए इन जिलों को नागरिक सुरक्षा जिला के रूप में मान्यता देते हुए आपदा प्रबंधन संबंधी जागरूकता फैलाने एवं अन्य कार्यो हेतु उपनियंत्रण का 24 पद नागरिक सुरक्षा अनुदेशक का 96 पद भंडारपाल/वरीय लिपिक का 24 पद तथा निम्नवर्गीय लिपिक का 48 पदों का सृजन किया गया है;	आंशिक स्वीकारात्मक। प्रसांगिक पत्र का पत्रांक–2954 दिनांक–05.08.2016 है।
2. क्या यह बात सही है कि इन पदों पर अबतक नियुक्ति की कार्रवाई शुरू नहीं होने से इन जिलों में आपदा प्रबंधन सम्बन्धित गतिविधियॉ ठप है;	आंशिक स्वीकारात्मक। पुलिस अधीक्षक–सह–सहायक आयुक्त, नागरिक सुरक्षा निदेशालय, बिहार, पटना के प्रतिवेदनानुसार 24 नवसृजित नागरिक सुरक्षा जिलों में नागरिक सुरक्षा निदेशालय की गतिविधियॉ प्रारम्भ करने हेतु नागरिक सुरक्षा निदेशालय, बिहार, पटना के कार्यालय आदेश संख्या–05 संसूचित ज्ञापांक–175 दिनांक–12.04.2017 के द्वारा पूर्व से कार्यशील नागरिक सुरक्षा जिला यथा पटना/पूर्णियाँ/कटिहार एवं बेगुसराय के नागरिक सुरक्षा अनुदेशक के साथ छः–छः नवसृजित नागरिक सुरक्षा जिलों को संबद्ध किया गया है। इसके साथ ही संबंधित जिलों के जिलाधिकारी–सह–नियंत्रक को उनके जिला के एक वरीय उप समाहर्त्ता स्तर के पदाधिकारी को तत्काल उपनियंत्रक, नागरिक सुरक्षा के रूप में मनोनीत करने का अनुरोध किया गया है जैसा कि पूर्व में कार्यशील चारों नागरिक सुरक्षा जिलों की व्यवस्था है।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खण्ड (1) में वर्णित पदों को शीघ्र भरने का विचार रखती है, हॉं तो कबतक, नहीं तो क्यों ?	स्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि नवसृजित पदों में से यथा नागरिक सुरक्षा अनुदेशक तथा निम्नवर्गीय लिपिक का पद सीधी भर्त्ती का पद है। शेष दोनों पद यथा उप नियंत्रक एवं भंडारपाल/वरीय लिपिक का पद शतप्रतिशत प्रोन्नति का पद है।

	सीधी भर्त्ती का पद यथा नागरिक सुरक्षा अनुदेशक पद को आच्छादित करते हुए इससे संबंधित ''बिहार नागरिक सुरक्षा सामान्य संवर्ग नियमावली'' का गठन प्रक्रियाधीन है। सीधी भर्त्ती के अन्य पद यथा निम्नवर्गीय लिपिक के पद से संबंधित नियमावली ''बिहार नागरिक सुरक्षा क्षेत्रीय लिपिकीय संवर्ग नियमावली, 2017'' का गठन आपदा प्रबंधन विभाग की अधिसूचना संख्या–3105 दिनांक–13.10.2017 द्वारा किया गया है। इस पद पर नियुक्ति हेतु रोस्टर स्वच्छता (क्लियरेन्श) की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

बिहार विधान सभा से प्राप्त तारांकित प्रश्न	
श्री मुजाहिद आलम, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–23.03.2018 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न सं0–पुन–32 क्या मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–	**दिनेश चन्द्र यादव** माननीय मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना।
प्रश्न	**उत्तर**
।1। क्या यह बात सही है कि किशनगंज जिलान्तर्गत कोचाधामन प्रखण्ड के कैरी वीरपुर पंचायत कैरी वीरपुर गॉव में दिनांक–04.08.2016 को रूखसाद, पिता–कम्रूल, ग्राम–डोहर की मृत्यु पानी में डूबकर हो गई थी,	स्वीकारात्मक।
।2। क्या यह बात सही है कि अभी तक मृतक के आश्रित को आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा सहायता राशि का भुगतान नहीं किया गया है, जबकि मृतक का चिकित्सा प्रमाण पत्र, एफ0आई0आर0 की कॉपी, मृत्यु प्रमाण पत्र, कर्मचारी जॉच रिर्पोट वंशावली सहित संलग्न कर सहायता राशि प्राप्त करने हेतु आवेदन डेढ़ साल पूर्व दिया गया है,	जिला पदाधिकारी, किशनगंज के प्रतिवेदनानुसार स्व0 रूखसाद के आश्रित माता रविना बेगम को चेक संख्या–375155 दिनांक–08.03.2018 द्वारा 4,00,000.00 (चार लाख) का अनुग्रह अनुदान हस्तगत करा दिया गया है।
।3। यदि उपर्युक्त खंडो के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार पीड़ित परिवार के आश्रित को सहायता राशि उपलब्ध कराने का विचार रखती है, हॉ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	

बिहार विधान सभा से प्राप्त तारांकित प्रश्न

श्री रामदेव राय, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–23.03.2018 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न सं0–पुन–46 क्या मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–	**दिनेश चन्द्र यादव** माननीय मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना।
प्रश्न	**उत्तर**
1. क्या यह बात सही है खगड़िया जिला के चौथम प्रखंड के कैथी पंचायत अन्तर्गत 'केवटा' गाँव कोशी एवं बागमती के संगम पर बसा हुआ है।	स्वीकारात्मक
2. क्या यह बात सही है कि 15 वर्षो से लगातार उक्त नदियों के कटाव के कारण 'केवटा' गाँव के लगभग 200 घर नदी में समा गया, जिस कारण पीड़ित परिवार सिंचाई विभाग के तट बंध पर शरण लिये हुए हैं, जिन्हें बाढ़ एवं वर्षा के समय कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।	जिला पदाधिकारी खगड़िया के प्रतिवेदनानुसार केवटा गॉव के कटाव पीड़ितों के द्वारा अपनी भूमि क्रय कर लिया गया है तथा वे उसपर मकान बनाकर रह रहे हैं। मात्र 09 (नौ) परिवार ऐसे हैं, जो वाटरवेज बॉध पर बसे हुए हैं। जिनके लिये उपयुक्त भूमि का चयन किया जा रहा है।
3. यदि उपर्युक्त खंडो के उत्तर स्वीकरात्मक है तो क्या सरकार कटाव पीड़ित परिवार को पुनर्वासित करने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?	

बिहार विधान सभा से प्राप्त तारांकित प्रश्न	
श्री नारायण प्रसाद, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–23.03.2018 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न सं0–पुन–03 क्या मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–	दिनेश चन्द्र यादव माननीय मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना।
प्रश्न	**उत्तर**
क्या यह बात सही है कि पश्चिम चम्पारण जिलान्तर्गत नौतन प्रखंड के खाप टोला निवासी भगेलु पटेल की मौत दिनांक–18.12.2017 एवं गहिरी निवासी रामप्रसाद पासवान की मौत दिनांक–17.12.2017 को भीषण ठंड के कारण हो गई है। यदि हाँ तो क्या सरकार उक्त मृतक के परिजानों को सरकारी सहायता देने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों ?	आंशिक स्वीकारात्मक। जिला पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण के प्रतिवेदनानुसार नौतन प्रखण्ड के गहिरी निवासी रामप्रसाद पासवान की मौत दिनांक–17.12.2017 एवं खाप टोला निवासी भगेलु पटेल की मौत दिनांक–18.12.2017 को हुई थी, किन्तु दोनो मृत व्यक्तियों का पोस्टमार्टम नहीं कराया गया था जिससे दोनो के मृत्यु का कारण स्पष्ट नहीं है।

बिहार विधान सभा से प्राप्त तारांकित प्रश्न	
श्री वशिष्ठ सिंह, स0वि0स0 द्वारा दिनांक 23.03.18 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं0 –पुन–45 क्या मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–	दिनेश चन्द्र यादव मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना
प्रश्न	**उत्तर**
(1) क्या यह बात सही है कि रोहतास जिलान्तर्गत प्रखंड शिवसागर के बहादुर राम, पिता–श्री काशीनाथ राम, ग्राम–मसीहाबाद एवं कमल पासवान, पिता–श्री दशई पासवान की मृत्यु सड़क दुर्घटना में दिनांक 06.02.2018 को हो गई थी;	स्वीकारात्मक।
(2) क्या यह बात सही है कि उपर्युक्त मृतक के परिवार को अभी तक सहायता राशि का भुगतान नहीं किया गया है;	स्वीकारात्मक।
(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त दोनों मृतक के परिवार को सहायता राशि देने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उक्त दोनों मृतक के परिवार को अनुग्रह राशि के भुगतान हेतु विभागीय पत्रांक 173/आ0प्र0 दिनांक 21.03.2018 द्वारा कुल ₹8.00 लाख (आठ लाख रूपये) जिला पदाधिकारी, रोहतास को आवंटित कर दी गई है।

बिहार विधान सभा से प्राप्त तारांकित प्रश्न	
श्री वशिष्ठ सिंह, स0वि0स0 द्वारा दिनांक 23.03.18 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं0 –पुन–39 क्या मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–	दिनेश चन्द्र यादव मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना
प्रश्न	**उत्तर**
(1) क्या यह बात सही है कि रोहतास जिलान्तर्गत प्रखंड शिवसागर के नीतीश कुमार, पिता–श्री विमल सिंह, ग्राम– पिपरी की मृत्यु दिनांक 02.10.2017 को सड़क दुर्घटना में एवं गणेश कुमार, पिता–श्री राजेन्द्र साह, ग्राम–बड्डी की मृत्यु दिनांक 15.10.2017 को पानी में डुबने के कारण हो गई थी, परन्तु मृतक के परिवार को अभी तक सहायता राशि नहीं दी गई है, यदि हाँ तो सरकार उक्त दोनों मृतक के परिवार को सहायता राशि देने का विचार रखती है, हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों ?	आंशिक स्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि नीतीश कुमार, पिता–श्री विमल सिंह, ग्राम– पिपरी की मृत्यु सामूहिक सड़क दुर्घटना में नहीं हुई है, जिसके कारण उनके परिवार को स्थानीय प्रकृति की आपदा के तहत अनुग्रह अनुदान अनुमान्य नहीं है। गणेश कुमार, पिता–श्री राजेन्द्र साह, ग्राम–बड्डी की मृत्यु दिनांक 15.10.2017 को पानी में डुबने के कारण हुई है। उनके परिवार को अनुग्रह राशि के भुगतान हेतु विभागीय पत्रांक 173/आ0प्र0 दिनांक 21.03.2018 द्वारा ₹4.00 लाख (चार लाख रूपये) जिला पदाधिकारी, रोहतास को आवंटित कर दी गई है।

बिहार विधान सभा से प्राप्त तारांकित प्रश्न	
श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–23.03.2018 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न सं0–पुन–44 क्या मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–	**दिनेश चन्द्र यादव** माननीय मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना।
प्रश्न	**उत्तर**
1. क्या यह बात सही है कि दीपक कुमार, उम्र–19 वर्ष, पिता–राज नारायण साह, ग्राम–शिशवा खरार, थाना–कल्याणपुर, जिला–पूर्वी चम्पारण के निवासी की मृत्यु दिनांक–18.09.2017 को मोटर साईकिल से ठोकर लगने से हो गई तथा प्रमोद कुमार, पिता–शिवनाथ साह उक्त पता के निवासी भी इस घटना में बुरी तरह से जख्मी हो गये।	जिला पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण के प्रतिवेदनानुसार कल्याणपुर थाना के केश सं0–161/2017, दिनांक–22.09.2017 से स्पष्ट है कि दिनांक–18.09.2017 को मोटर साईकिल दुर्घटना में दीपक कुमार, पिता–राज नारायण साह, ग्राम–सिसवा खरार, थाना–कल्याणपुर की मृत्यु हुई है। इस दुर्घटना में कोई अन्य व्यक्ति घायल एवं मृत नहीं हुआ है।
2. क्या यह बात सही है कि उक्त पीड़ित परिवार ने अंचलाधिकारी कल्याणपुर को आवेदन देकर आपदा राशि के लिए गुहार लगाया है।	अस्वीकारात्मक।
3. यदि उपर्युक्त खंडो के उत्तर स्वीकरात्मक है तो क्या सरकार उक्त पीड़ित परिवार को आपदा राशि उपलब्ध कराने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?	आपदा प्रबंधन विभाग के अधिसूचना संख्या–1418 दिनांक–17.04.2015 के आलोक में सड़क दुर्घटना में समूह के कुप्रभावित होने पर अनुग्रह अनुदान देय है। आलोच्य मामला सड़क दुर्घटना में एकल मृत्यु का है। अतः अनुग्रह अनुदान अनुमान्य नहीं है।

साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालय : विद्युत भवन, बेली रोड, पटना – 21
बिहार सरकार का उपक्रम
U40109BR2012SGC018890

श्री सरोज यादव, स०वि०स० से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या – य 94

क्या मंत्री, ऊर्जा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :–

	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि भोजपुर जिला अन्तर्गत बड़हरा, आरा एवं कोईलवर प्रखण्डों में बजाज एजेंसी द्वारा विद्युतीकरण किया जा रहा है, जिसमें निम्न स्तर की सामग्री का प्रयोग किया जा रहा है,	आंशिक स्वीकारात्मक। भोजपुर जिला के प्रश्नवर्णित प्रखंडों में मेसर्स बजाज द्वारा विद्युतीकरण का कार्य किया जा रहा है जिसमें निर्धारित मानक के सामग्री का प्रयोग किया जा रहा है।
2.	क्या यह बात सही है कि बजाज एजेंसी द्वारा विद्युतीकरण में उपयोग किये गये ए०बी०सी० केबल (कभर वायर) तार बड़हरा प्रखंड के शारदा सिंह के टोला सरैया, मिल्की मुस्लिम टोली आदि गांव में लगने के एक माह बाद ही गल कर टूट गया तथा बिना पाईलिंग किए एवं बिना सीमेंट से ढाले, गाड़े गए पोल गिर गये हैं ;	अस्वीकारात्मक। प्रश्नवर्णित स्थल पर ए०बी० केबुल दिसम्बर, 2016 में लगा कर विद्युतीकरण किया गया था, जो फरवरी में छेड़छाड़ के वजह से क्षतिग्रस्त होकर टूट गया था। टूटे हुए तार का मरम्मत कर विद्युत आपूर्ति की जा रही है। आर०ई०सी० के मानक के अनुरूप पोल खड़ा किया जा रहा है। जिसमें सीमेंट कंक्रीटिंग का प्रावधान नहीं है। किसी पोल के गिरने की सूचना नहीं है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर उक्त एजेंसी पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	

21/3
वीरेन्द्र प्रसाद
मुख्य अभियंता परियोजना-1
साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूसन कं० लि०
पटना

श्री मनोहर प्रसाद सिंह, स0 वि0 स0 द्वारा प्राप्त तारांकित प्रश्न सं0–य0–101 का उत्तर।

य0–101

प्रश्न	उत्तर
क्या यह बात सही है कि कटिहार जिला के मनिहारी प्रखंड अन्तर्गत कुमारीपुर ग्राम पंचायत के रसलपुर गाँव के 75 उपभोक्ता बाँस का पोल गाड़कर विद्युत का उपभोग कर रहे है जबकि दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के तहत हरेक ग्रामीणों के घर तक पोल, तार के सहारे विद्युत पहुँचाने का प्रावधान है, यदि हाँ तो सरकार उक्त ग्राम में बिजली का पोल गाड़कर उपभोक्ताओं को बिजली आपूर्ति कराने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों?	कटिहार जिलान्तर्गत कुमारीपुर ग्राम पंचायत के रसलपुर गाँव के कुछ उपभोक्ताओं द्वारा अस्थायी माध्यम से विद्युत का उपयोग की जा रही है। दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना अन्तर्गत आंशिक रूप से विद्युतीकृत गाँवों के टोलों के विद्युतीकरण का कार्य प्रगति पर है। कार्य पूर्ण करने का लक्ष्य अप्रैल, 2018 है। इस तरह के बांस–बल्ले पर दिये गये विद्युत संबंध को HT & LT आर0 एण्ड एम0 हेतु स्वीकृत राज्य योजना के अन्तर्गत कराया जायेगा। इस हेतु एजेंसी का चयन कर लिया गया है एवं कार्य की अवधि तीन साल है।

राहुल कुमार
20/03/18

राहुल कुमार
सहायक विद्युत अभियंता (परियोजना-1)
नॉ.बि.पा.डि.क.

20/3/18
Manish Kant
ESE (Project-1)
NBPDCL, Patna

21.3.18
S.S.P. Srivastava
CE (O&M)/NBPDCL

बजट सत्र के लिए माननीय श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह, सदस्य विधान सभा से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या य–78 का उत्तर प्रतिवेदन।

प्रश्न	उत्तर
क्या मंत्री, उर्जा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–	आंशिक स्वीकारात्मक।
1. क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिला के कल्याणपुर प्रखंड के कल्याणपुर पंचायत के कल्याणपुर, शिशवासोब पंचायत के फुलबरिया एवं कोयलावेलवा गॉवों में विद्युत पोल एवं तार जर्जर रहने के कारण विद्युत आपूर्ति बाधित रहती है, यदि हॉ तो क्या सरकार उक्त गॉवों में जर्जर विद्युत पोल एवं तार बदलने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों?	एनबीपीडीसीएल के सभी जिलान्तर्गत इस तरह के बिजली के जर्जर तार एवं पोल को बदलने का कार्य स्टेट प्लान के अन्तर्गत स्वीकृत है। एजेंसी का चयन कर लिया गया है। मई महीने से कार्य प्रारंभ होगा एवं कार्य पूरा करने की अवधि तीन साल है।

अमित कुमार 21.3.18
अमित कुमार
सहायक

21/3/18

21.3.18
मुख्य अभि० (संच० एवं सम्पो०)
नॉ०वि०पा०डि०क०लि०, पटना

21.3.18
विद्युत अधीक्षक अभियंता (संच० एवं संधो०)
नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, पटना

बजट सत्र के लिए माननीय श्री सीताराम यादव, सदस्य विधान सभा से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या य–102 का उत्तर प्रतिवेदन।

प्रश्न	उत्तर
क्या मंत्री, उर्जा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:– 1. क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिला अन्तर्गत बासोपट्टी प्रखंड के नरकटिया गाँव के बीच में से होकर 11000 वोल्ट का विद्युत तार पास किया है?	स्वीकारात्मक है।
2. क्या यह बात सही है क़ि उक्त तार दो बार टूटकर गिरने की घटना घट चुकी है?	आंशिक स्वीकारात्मक है।
3. यदि उपर्युक्त खंडो. के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार उक्त बिजली के तार को गाँव से बाहर होकर ले जाने का विचार रखती है, नही तो क्यों?	वस्तुस्थिति यह है कि मधुबनी ज़िला अन्तर्गत बासोपट्टी प्रखंड के नरकटिया गाँव के बीच में से होकर 11000 वोल्ट का विद्युत तार गुजरती हैं जिसके नीचे कालांतर में घनी आबादी बस गयी है। लाईन वर्षो पुरानी है साथ ही इस तरह की शिफ्टींग कार्य में तकनीकी एवं व्यवहारिक कठिनाईयाँ उत्पन्न होती है।

अमित कुमार 21.3.18
अमित कुमार
सहायक

21.3.18
विद्युत अधीक्षण अभियंता
नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड, पटना

21.3.18
एस०एस०पी० श्रीवास्तव
मुख्य अभि० (संचा० एवं सम्पो०)
नॉ०बि०पा०डि०क०लि०, पटना

बजट सत्र के लिए माननीय श्री नरेन्द्र कुमार नीरज, सदस्य विधान सभा से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या य–93 का उत्तर प्रतिवेदन।

प्रश्न	उत्तर
स्थानीय हिन्दी दैनिक समाचार पत्र में दिनांक 26.12.2017 को छपी शीर्षक'' लकड़ी से बना बिजली का पोल टूट कर गिरा'' के आलोक में क्या मंत्री, उर्जा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:– 1. क्या यह बात सही है कि समस्तीपुर जिला अन्तर्गत मोरवा प्रखंड के इन्द्रबाड़ा पंचायत के वार्ड 02 पुरूषोत्तमपुर में लगभग 06 माह पूर्व श्री सुनील कुमार सिंह के घर के निकट लगा लकड़ी का पोल टुट कर गिर गया है जिसके कारण पंकज सिंह के घर के पास बिजली पोल की अर्थिंग तार में करेंट का प्रवाह हो रहा है तथा कई लोगों को करंट का झटका भी लग चुका है?	आंशिक स्वीकारात्मक है।
2. क्या यह बात सही है कि वर्णित तथ्यों की शिकायत श्री सुनील कुमार सिंह द्वारा संबंधित सहायक अभियंता से दिनांक 22.12.2017 को किया गया है?	स्वीकारात्मक है।
3. यदि उपर्युक्त खंडो का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार वर्णित टूटे लकड़ी के पोल को बदलने एवं अर्थिंग तार में हो रहे करेंट के प्रवाह की समस्या को दूर करने का कब तक विचार रखती है, नही तो क्यों?	समस्तीपुर जिला अन्तर्गत मोरवा प्रखंड के इन्द्रबाड़ा पंचायत के वार्ड 02 पुरूषोत्तमपुर में श्री सुनील कुमार सिंह के घर के निकट लगे लकड़ी के पोल के स्थान पर नया सीमेंट का पोल अधिष्ठापित कर दिया गया है एवं अर्थिंग तार में हो रहे करेंट के प्रवाह की समस्या को दूर कर दिया गया है।

अमित कुमार 21.3.18
अमित कुमार
सहायक

रतन कुमार 21.3.18
रतन कुमार
का० अ० (संचा० एवं संधा०)
बि० पा० डि० क० लि० पटना

21.3.18

21.3.18
विद्युत अधीक्षण अभियंता (संचा० एवं संधा०)
द०बि०पा०डि०क०लि०, पटना
दक्षिण बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड

साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : विद्युत भवन, बेली रोड, पटना – 21
बिहार सरकार का उपक्रम
(ग्रामीण विद्युतीकरण)

श्री अजीत शर्मा, स० वि० स० से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या – य–95

क्या मंत्री, ऊर्जा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–

प्रश्न	उत्तर
1. क्या यह बात सही है कि भागलपुर शहर के सूर्यलॉक कॅलोनी एवं सच्चिदानन्द नगर मुहल्लो के विद्युत उपभोक्ताओं को विद्युत की आपूर्ति जर्जर लकड़ी के पोल एवं तार के माध्यम से विगत 20 वर्षो से की जा रही है। जिसके कारण विगत 3 वषो से हमेशा दूर्घटना होते रहती है।	तथ्य है कि भागलपुर शहरी क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति रख–रखाव एवं राजस्व संग्रहण इत्यादि का कार्य दिनांक 01.01.2014 से डिस्ट्रीब्यूशन फेंचाईजी एकरारनामा के तहत् मेसर्स भागलपुर विद्युत वितरण कम्पनी प्रा० लि०, कोलकत्ता द्वारा किया जा रहा था। एकरारनामा में निहित प्रावधान के अन्तर्गत फेंचाइजी कम्पनी को फेंचाइजी क्षेत्र में विद्युत संरचना के सुदृढ़ीकरण का कार्य कराना था जो उनके द्वारा नहीं किया गया। दिनांक 25.11. 2017 को उक्त डिस्ट्रीब्यूशन फेंचाईजी का एकरारनामा निरस्त कर दिया गया है। भागलपुर शहरी क्षेत्र के विद्युत संरचनाओं के सुदृढ़ीकरण हेतु डी०पी०आर० तैयार किया जा रहा है। उक्त कार्य आई०पी०डी०एस० योजना में प्रस्तावित है। भागलपुर शहर के सूर्यलोक कॉलोनी एवं सच्चिदानन्द नगर मुहल्ले के जर्जर लकड़ी के पोल एवं तारों को बदलने का प्रस्ताव स्वीकृति के उपरान्त पूरा कराया जायगा।
2. क्या सरकार उक्त मोहल्ला के जर्जर लकड़ी के पोल एवं तार बदलवाने का विचार रखती है।	

21/3

वीरेन्द्र प्रसाद
मुख्य अभियंता परियोजना-1
साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं० लि०
पटना

श्री मदन मोहन तिवारी, स0 वि0 स0 द्वारा प्राप्त तारांकित प्रश्न सं0–य0–73 का उत्तर।

य0–73

प्रश्न	उत्तर
क्या यह बात सही है कि प0 चम्पारण जिलान्तर्गत मझौलिया प्रखंड के चैलाभार पंचायत के भट्ट टोला के बी0पी0एल0 परिवार को अभी तक विद्युत कनेक्शन नहीं दिया गया है, यदि हाँ तो इसका क्या औचित्य है?	प0 चम्पारण जिलान्तर्गत मझौलिया प्रखंड के उक्त टोला में विद्युतीकरण का कार्य कर लिया गया है एवं शेष बचे इच्छुक बी0पी0एल0 परिवारों को विद्युत कनेक्शन देने का लक्ष्य अप्रैल, 2018 है।

12/03/2018

सुनील कुमार श्रीवास्तव
मुख्य अभियंता (परियोजना-1)
ना0 वि0 सं0 नि0 कं0 लि0, पटना

नार्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड ,पटना

(CIN No. U40109BR2012SGC018920) वेबसाइट:- www.nbpdcl.in

(निबंधित कार्यालय विद्युत भवन ,बेली रोड ,पटना)

श्री शिव चन्द्र राम, सदस्य विधान सभा से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या य–100 का उत्तर प्रतिवेदन।

प्रश्न	उत्तर
क्या मंत्री, ऊर्जा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :– (1) क्या यह बात सही है कि वैशाली जिला अन्तर्गत सहदेई बुजुर्ग प्रखण्ड के रामपुर बघेल ग्राम में दिनांक 30–07–2015 को समोहौता चौर में बिजली के तार के चपेट में आने के कारण चन्द्रशेखर राय एवं उनके दो बैलों की मौत हो गयी थी, (2) क्या यह बात सही है कि अभी तक पीड़ित के परिवार को नियमानुकूल मुआवजा नहीं मिलने के कारण काफी कठिनाई हो रही है तथा प्रश्नकर्त्ता सदस्य द्वारा इसके लिए दिनांक 13–07–2017 को विभाग को विभाग को पत्र लिखा गया है। (3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार मृतक चन्द्रशेखर राय के परिवार को नियमानुकूल मुआवजा देने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?	वस्तु स्थिति यह है कि दिनांक 30–7–15 को वैशाली जिला के सहदेई बुजुर्ग प्रखण्ड अन्तर्गत पोहियार पंचायत के रामपुर बघेल ग्राम में समहौता चौर में खेत जोतने के क्रम में 11KV विद्युत प्रवाहित तार टुटने से चन्द्र शेखर राय, पिता–मेघू राय, ग्राम+पोस्ट–रामपुर बघेल, प्रखण्ड–सहदेई बुजुर्ग, जिला–वैशाली की मृत्यु हो गयी थी, क्षेत्रीय कार्यालय से विद्युत स्पर्शाघात की घटना में चन्द्रशेखर राय की मृत्यु प्रतिवेदित होने के फलस्वरूप कम्पनी के कार्यालय आदेश सं0–1613 दिनांक 08–11–17 द्वारा मृतक के उत्तराधिकारी को ₹4,00,000/– (चार लाख रुपये) मात्र मुआवजा राशि की स्वीकृति प्रदान की गयी है, जिसका भुगतान चेक सं0–331407 दिनांक 13–11–17 द्वारा किया गया। वर्त्तमान में विद्युत स्पर्शाघात की घटना से पशुधन क्षति होने पर मुआवजा राशि भुगतान किये जाने का प्रावधान इस कम्पनी में नहीं है।

प्रशाखा पदाधिकारी   वरीय प्रबंधक (मा0 सं0/प्र0)   उप महा प्रबंधक (कार्मिक)

Vikash

श्री जयवर्धन यादव, स०वि०स० से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या – य 34

क्या मंत्री, ऊर्जा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :–

प्रश्न	उत्तर
1. क्या यह बात सही है कि पटना जिला के पालीगंज में पिछले डेढ़ वर्षो से सुप्रीम भी०पी०आई०एल० कम्पनी के द्वारा बैकवर्ड रिजन ग्रांट फंड II का कार्य चल रहा है। उक्त योजना के तहत कम्पनी को 200 नया ट्रान्सफार्मर, पॉच किलोमीटर एल०टी० लाईन लगाने एवं 400 पोल गाड़ने का कार्य वर्ष 2016 तक पूर्ण करना था।	Backward Region Grant Fund (BRGF) Phase – II के तहत पटना एवं भोजपुर जिलों में विद्युत आपूर्ति प्रणाली के सुदृढ़ीकरण का कार्य मेसर्स सुप्रीम–भी०पी०आई०एल० को वर्ष 2014 में आवंटित किया गया। कार्य पूरा करने की निर्धारित अवधि 18 माह थी। इसके अन्तर्गत पालीगंज प्रखण्ड में निम्नलिखित कार्य करने थे – (1) 200 के०भी०ए० नया ट्रान्सफार्मर – 4 (2) 200 के०भी०ए० ट्रान्सफार्मर क्षमता विस्तार – 4 (3) 100 के०भी०ए० नया ट्रान्सफार्मर – 3 (4) नया एल०टी० लाईन – 5 कि०मी० इसके विरूद्ध एजेंसी द्वारा अभी तक किया गया कार्य निम्नलिखित है :– (1) 200 के०भी०ए० नया ट्रान्सफार्मर – 2 (2) 200 के०भी०ए० ट्रान्सफार्मर क्षमता विस्तार – 4 (3) 100 के०भी०ए० नया ट्रान्सफार्मर – 2 (4) नया एल०टी० लाईन – 1 कि०मी०
2. क्या यह बात सही है कि उक्त कम्पनी द्वारा मात्र छः ट्रान्सफर्मर, 100 पोल एवं आधा किलोमीटर एल०टी० लाईन लगाने का कार्य किया गया है जो निर्धारित लक्ष्य से बहुत कम है जबकि सरकार द्वारा उक्त कम्पनी को निर्धारित कार्य को पूर्ण करने के लिए दो बार एक्सटेन्सन दिया गया है।	
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार पालीगंज में उक्त योजना का कार्य कब तक पूर्ण कराने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?	उक्त एजेंसी को निर्धारित कार्य पूर्ण करने के लिए एक्सटेंशन दिया गया परन्तु धीमी प्रगति के कारण अभी तक कार्य पूरा नहीं किया जा सका है। इसके कारण एजेंसी को भविष्य की निविदाओं से Debar कर दिया गया है। एजेंसी के साथ उच्च स्तरीय बैठक कर कार्यों की मॉनीटरिंग की जा रही है तथा शेष कार्यों को अगले दो माह में पूरा कराने का लक्ष्य है।

6/3

वीरेन्द्र प्रसाद
मुख्य अभियंता परियोजना-1
साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं० लि०
पटना।

बजट सत्र के लिए माननीय श्री मुजाहिद आलम, सदस्य विधान सभा से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या य–69 का उत्तर प्रतिवेदन।

प्रश्न	उत्तर
क्या मंत्री, उर्जा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–	
1. क्या यह बात सही है कि किशनगंज जिला अन्तर्गत कोचाधामन प्रखंड के बगलबाड़ी पंचायत का डहवा चॉंद मई टोला, रहमतपाड़ा, मदरसा के पास मस्जिदगढ़ दक्षिण टोला पी0एम0जी0एल0बाई0 सड़क के पास में बॉस–बल्ले पर विद्युत आपूर्ति की जा रही है?	**स्वीकारात्मक है।**
2. यदि उपरोक्त खंड का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार उक्त स्थानों पर बिजली खम्में के द्वारा बिजली आपूर्ति करने का विचार रखती है, हॉं तो कब तक, नही तो क्यों?	एनबीपीडीसीएल के सभी जिलान्तर्गत इस तरह के बिजली के जर्जर तार एवं पोल को बदलने का कार्य स्टेट प्लान के अन्तर्गत स्वीकृत है। एजेंसी का चयन कर लिया गया है। मई महीने से कार्य प्रारंभ होगा एवं कार्य पूरा करने की अवधि तीन साल है।

अमित कुमार
सहायक

21/3/18
रतन कुमार
वि० का० अ० (अनु० एवं सम्पो०)
नॉ० वि० पा० डि० क० लि० पटना

21.3.18
मुख्य अभि० (संचा० एवं सम्पो०)
नॉ०वि०पा०डि०क०लि०, पटना

21.3.18
विद्युत अधीक्षण अभियंता (संचा० एवं सम्पो०)
नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड पटना

बिहार विधान सभा के माननीय सदस्य श्री नारायण प्रसाद से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या – य–06 का उत्तर

क्या मंत्री ऊर्जा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगें कि :–

प्रश्न	उत्तर
1. क्या यह बात सही है कि पश्चिमी चम्पारण जिलान्तर्गत बैरिया प्रखण्ड में जल विद्युत परियोजना मथौली के किए गए कार्य की गुणवत्ता एवं बचे हुए कार्य की समीक्षा ए०एच०ए०सी० रूड़की से अगस्त, 2017 में करायी गयी है, जिसने योजना को पूर्ण कराने हेतु पुनरीक्षित लागत राशि ₹1421.10 लाख रूपए बताया है,	मथौली जल विद्युत परियोजना की स्वीकृत राशि ₹497.52 लाख थी। A.H.E.C Rorkee द्वारा परियोजना को पूर्ण करने हेतु ₹ 1421.10 लाख का पुनरीक्षित प्राक्कलन दिया गया है जो स्वीकृत राशि से 185 % अधिक है।
2. क्या यह बात सही है कि पुनरीक्षित लागत की राशि उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण पिछले चार वर्षों से परियोजना लंबित है,	पुनरीक्षित प्राक्कलन के स्वीकृति के बिना राशि उपलब्ध नही कराया जाता है।
3. यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार उक्त योजना को पूर्ण कराने का विचार रखती है, हॉं तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	परियोजना को पुरा करने के लिये A.H.E.C Rorkee से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में मथौली जल विद्युत परियोजना को चालु करने हेतु मंत्रिपरिषद् द्वारा पुनरीक्षित प्राक्कलित राशि की स्वीकृति प्रदान की गई है। इस संबंध में अग्रत्तर कार्यवाई की जा रही है।

नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड

(निबंधित कार्यालय : विद्युत भवन, बेली रोड, पटना)

(सामान्य प्रशासन विभाग)

(CIN No. :- U40109BR2012SGC018920) वेबसाईट :- www.nbpdcl.in

श्री अमित कुमार, सदस्य विधान सभा से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या य–79 का उत्तर प्रतिवेदन।

प्रश्न	उत्तर
क्या मंत्री, ऊर्जा-विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिलान्तर्गत रीगा प्रखंड में विद्युत सब–डिवीजंन नहीं रहने के कारण उपभोक्ता को बिजली बिल एवं बिजली संबंधित अन्य कार्य के लिए अन्यत्र प्रखण्ड में जाना पढ़ता है, जिससे उपभोक्ताओं को परेशानी एवं समय की बरबादी होती है, यदि हाँ तो क्या सरकार रीगा प्रखण्ड में शीध्र विद्युत सब डिविजन की स्थापना कर सभी विद्युत समस्या का निदान कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नही तो क्यों ?	कार्यालय आदेश संख्या 345 दिनांक 08.02.2018 द्वारा रीगा प्रखंड में विद्युत आपूर्ति अवर प्रमंडल, रीगा का नवसृजन किया जा चुका है (छायाप्रति संलग्न) जो कार्यरत है।

12.3.2018

(प्रवीण कुमार प्रियदर्शी)	(अशोक कुमार वर्मा)	(बिनय कुमार)	(राकेश रंजन)	(शंकर झा)
पत्राचार लिपिक	प्रशाखा पदाधिकारी	अवर सचिव	विशेष कार्य पदा० (मा०सं०/प्र०)	महाप्रबंधक (मा०सं०/प्र०)

बजट सत्र के लिए माननीय श्री नन्द कुमार राय, सदस्य विधान सभा से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या य–99 का उत्तर प्रतिवेदन।

प्रश्न	उत्तर
क्या मंत्री, उर्जा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–	
1. क्या यह बात सही है कि मुजफ्फरपुर जिला अन्तर्गत मोतीपुर प्रखंड के ठीकहाँ पंचायत के ठीकहाँ बासदेवा ग्राम में जर्जर तार होने के कारण दुर्घटना की संभावना बनी रहती है?	आंशिक स्वीकारात्मक है।
2. क्या यह बात सही है कि उक्त ग्राम के लोगों द्वारा एक वर्ष पूर्व जर्जर तार बदलने हेतू कार्यपालक अभियंता मुजफ्फरपुर को भी आवेदन दिया गया था, परंतु विभाग द्वारा अभी तक इस संबंध में कार्रवाई नहीं किया गया है?	एनबीपीडीसीएल के सभी जिलान्तर्गत इस तरह के बिजली के जर्जर तार एवं पोल को बदलने का कार्य स्टेट प्लान के अन्तर्गत स्वीकृत है। एजेंसी का चयन कर लिया गया है। मई महीने से कार्य प्रारंभ होगा एवं कार्य पूरा करने की अवधि तीन साल है।
3. यदि उपर्युक्त खंडो के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उपर्युक्त ग्राम के जर्जर तार को कब तक बदलने का का विचार रखती है, नहीं तो क्यों?	

21.3.18
अमित कुमार
सहायक

21/3/18

21.3.18
एस०एल०पी० श्रीवास्तव
मुख्य अभि० (संचा० एवं सम्पो०)
नॉ०बि०पा०डि०क०लि०, पटना

21.3.18
विद्युत अधीक्षण अभियंता (संचा० एवं संपो०)
नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, पटना

बजट सत्र के लिए माननीय श्री नन्द कुमार राय, सदस्य विधान सभा से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या य–98 का उत्तर प्रतिवेदन।

प्रश्न	उत्तर
क्या मंत्री, उर्जा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:– 1. क्या यह बात सही है कि मुजफ्फरपुर जिला अन्तर्गत मोतीपुर प्रखंड के कमालपुर विघरौल में बिजली के 800 उपभोक्ता है?	आंशिक स्वीकारात्मक है।
2. क्या यह बात सही है कि उक्त गाँव के उपभोक्ताओं को मात्र एक 63 केभीए के ट्रांसफॉर्मर से बिजली की आपूर्ति की जाती है, जिस पर अत्यधिक लोड होने के कारण तथा जर्जर तार लगे रहने के कारण आपूर्ति प्रायः बाधित रहती है?	आंशिक स्वीकारात्मक। मोतीपुर प्रखंड के कमालपुर विघरौल में पूर्व से अधिष्ठापित 63 केभीए के अलावे एक अतिरिक्त 63 केभीए का ट्रांसफॉर्मर स्थापित करने हेतू बीआरजीएफ फेज–2 योजना अंतर्गत सर्वेक्षण कार्य कर लिया गया है एवं ट्रांसफॉर्मर अधिष्ठापित करने का लक्ष्य अप्रैल 2018 है।
3. यदि उपर्युक्त खंडो के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उपर्युक्त गाँव में जर्जर तार बदलकर एवं एक अतिरिक्त ट्रांसफॉर्मर लगा कर निर्बाध रूप से विद्युत आपूर्ति करने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों?	एनबीपीडीसीएल के सभी जिलान्तर्गत इस तरह के बिजली के जर्जर तार एवं पोल को बदलने का कार्य स्टेट प्लान के अन्तर्गत स्वीकृत है। एजेंसी का चयन कर लिया गया है। मई महीने से कार्य प्रारंभ होगा एवं कार्य पूरा करने की अवधि तीन साल है।

अमित कुमार 21-3-18
अमित कुमार
सहायक

21/3/18
... कुमार
... सहा० अभि० (संचा० एवं संधा०)
नॉ० बि० पा० डि० कं० लि० पटना

21-3-18
विद्युत कार्यपालक अभियंता (संचार एवं संधा०)
नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, पटना

21-3-18
मुख्य अभि० (संचा० एवं संधा०)
नॉ० बि० पा० डि० कं० लि०, पटना

श्री सुधांशु शेखर, स0 वि0 स0 द्वारा प्राप्त तारांकित प्रश्न सं0–य0–67 का उत्तर। 93

य0–67

प्रश्न	उत्तर
क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिला के हरलाखी प्रखण्ड के नहरनीया पंचायत के नहरनीया गांव के माली टोला में आजतक विद्युतीकरण नहीं किया गया है, यदि हाँ तो क्या सरकार माली टोल में विद्युतीकरण करने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?	मधुबनी जिला के हरलाखी प्रखंड के नहरनीया पंचायत के नहरनीया गाँव में विद्युत पहुँचा दी गई है। प्रश्नवर्णित टोलों में विद्युतीकरण का लक्ष्य अप्रैल, 2018 है।

06-03-18

06/03/18

06/03/2018

श्री सुधांशु शेखर, स0वि0स0 से प्राप्त तारांकित प्रश्न सं0–य–76।

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि हस्क पॉवर सिस्टम प्रा0लि0 कम्पनी द्वारा पूर्वी एवं पश्चिमी चम्पारण जिला में सौर ऊर्जा एवं बायोमास से संचालित 80 विद्युत प्लान्ट चलाये जा रहे है।	आंशिक स्वीकरात्मक। हस्क पॉवर सिस्टम प्रा0 लि0 कम्पनी द्वारा पूर्वी एवं पश्चिमी चम्पारण जिला में उपलब्ध सूचना के आधार पर 52 अद्द बायोमास से संचालित विद्युत प्लान्ट जो 2012 के पूर्व अधिष्ठापित किये गये थे।
2	या यह बात सही है कि उक्त जिला में से सिर्फ 10 प्लान्ट ही वर्तमान में कार्यरत है।	आंशिक स्वीकरात्मक। वर्तमान में जिला में कार्यरत कर्मियों के स्थल निरीक्षण एवं हस्क पावर सिस्टम प्रा0 लि0 कम्पनी द्वारा दी गयी सूचना के अनुसार उक्त जिलों में 03 अदद् प्लान्ट कार्यरत हैं।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार जाँच कराकर सौर ऊर्जा एवं बायोमास से संचालित शेष 70 विद्युत प्लान्ट को चलवाने का विचार रखती है नहीं तो क्यो?	केन्द्र प्रायोजित योजना (MNRE) भारत सरकार द्वारा उक्त योजना में निहित दिशा–निर्देश के अनुसार फर्म को 5 वर्षो तक विद्युत प्लान्ट का रख–रखाव की जिम्मेवारी निर्धारित थी एवं उसके बाद की सारी जिम्मेवारी फर्म की स्वंय है।

बजट सत्र के लिए माननीय श्री मदन मोहन तिवारी, सदस्य विधान सभा से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या य–74 का उत्तर प्रतिवेदन।

प्रश्न	उत्तर
क्या मंत्री, उर्जा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–	
1. क्या यह बात सही है कि पश्चिम चम्पारण जिला अन्तर्गत प्रखंड मझौलिया के पंचायत मझौलिया के सतभीड़वा टोला मे लगा विद्युत तार जर्जर है, जिससे विद्युत आपूर्ति बाधित रहती है, यदि हॉ तो क्या सरकार सतभीड़वा टोला में लगे जर्जर विद्युत तार को बदलने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों?	आंशिक स्वीकारात्मक है। एनबीपीडीसीएल के सभी जिलान्तर्गत इस तरह के बिजली के जर्जर तार एवं पोल को बदलने का कार्य स्टेट प्लान के अन्तर्गत स्वीकृत है। एजेंसी का चयन कर लिया गया है। मई महीने से कार्य प्रारंभ होगा एवं कार्य पूरा करने की अवधि तीन साल है।

21.3.18
अमित कुमार
सहायक

21/3/18

21.3.18
विद्युत अधीक्षण अभियंता (प्रचा० एवं संधा०)
नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्युशन कंपनी लिमिटेड, पटना

21.3.18
मुख्य अभियंता (... एवं संधा०)
नॉ०बि०पा०डि०कं०लि०, पटना

बजट सत्र के लिए माननीय श्री सैयद अबु दौजाना, सदस्य विधान सभा से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या य–16 का उत्तर प्रतिवेदन।

प्रश्न	उत्तर
1. क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिला के पुपरी प्रखंड अन्तर्गत मौलानगर में एवं पुपरी ग्रामीण क्षेत्र में 40 वर्ष पूर्व विद्युतीकरण का कार्य कराया गया था।	आंशिक स्वीकारात्मक।
2. क्या यह बात सही है कि उक्त वर्णित स्थानों पर विद्युत का तार काफी जर्जर होने के कारण विद्युत आपूर्ति में काफी कठिनाई हो रही है।	एनबीपीडीसीएल के सभी जिलान्तर्गत इस तरह के बिजली के जर्जर तार एवं पोल को बदलने का कार्य स्टेट प्लान के अन्तर्गत स्वीकृत है। एजेंसी का चयन कर लिया गया है। मई महीने से कार्य प्रारंभ होगा एवं कार्य पूरा करने की अवधि तीन साल है।
3. यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार उक्त स्थानों पर नये सिरे से विद्युतीकरण कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों?	

21.3.18
अमित कुमार
सहायक

21.3.18
रतन कुमार
वि० का० अ० (संचा० एवं संपो०)
नॉ० बि० पा० डि० कं० लि० पटना

21.3.18
मुख्य अभि० (संचा० एवं संपो०)
नॉ०वि०पा०डि०कं०लि०, पटना

21.3.18
विद्युत अधीक्षण अभियंता (संचा० एवं संपो०)
नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रिब्युशन कंपनी लिमिटेड, पटना

मो0 नेमातुल्लाह, स0 वि0 स0 द्वारा प्राप्त तारांकित प्रश्न सं0–य0–97 का उत्तर।

य0–97

प्रश्न	उत्तर
(1) क्या यह बात सही है कि वित्तीय वर्ष 2013–14 में मधुबनी जिलान्तर्गत प्रखंड लदनियाँ के लक्ष्मीनियाँ फीडर से प्राथमिक सह उ0म0 विद्यालय धनजैया होते श्री गंगा राम घर के निकट स्थित शिव मन्दिर तक विद्युतीकरण कार्य की स्वीकृति दी गई थी,	आंशिक स्वीकारात्मक है। कार्य को पूर्ण करने हेतु प्रशासन की सहायता ली गई लेकिन ग्रामीणों के अवरोध के कारण उक्त कार्य पूर्ण नहीं हो पाया। पुनः प्रशासन की सहायता लेकर उक्त कार्य को पूर्ण करने का लक्ष्य अप्रैल, 2018 है।
(2) क्या यह बात सही है कि वर्ष 2014 में प्रा0सह उ0म0 विद्यालय धनजैया होते शिव मन्दिर तक बिजली पोल खड़ा कर दिया गया है तथा अन्य कार्य अपूर्ण रहने के कारण घर–घर बिजली आपूर्ति नहीं किया जा सकता है,	
(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त अधूरे कार्य को पूर्ण कराने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों?	

21.3.18

S.S.P. Srivastava
Chief Engineer (P-II)
NBPDCL, Patna

डॉ० राजेश कुमार, स० वि० स० द्वारा प्राप्त तारांकित प्रश्न सं०—य०—25 का उत्तर।

य०—25

प्रश्न	उत्तर
(1) क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत केसरिया प्रखंड के पूर्वी सरोत्तर एवं हुसैनी गाँव में आजादी के बाद आज तक विद्युतीकरण नहीं किया गया है, यदि हाँ तो सरकार उक्त गाँवों का विद्युतीकरण कब तक कराने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों?	केसरिया प्रखंड के पूर्वी सरोत्तर एवं हुसैनी गाँव में दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के 12वीं योजना के अन्तर्गत गाँव में बिजली पहुँचा दी गई है। सभी टोलों में विद्युत पहुँचाने का लक्ष्य अप्रैल, 2018 है।

22/02/18
नूरूल करीम
स० वि० अभि० (परि०—I)
ना०बि०पा०डि०क०लि०, पटना

2?/02/2018

बजट सत्र के लिए माननीय श्री शमीम अहमद, सदस्य विधान सभा से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या य–96 का उत्तर प्रतिवेदन।

प्रश्न	उत्तर
क्या मंत्री, उर्जा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–	आंशिक स्वीकारात्मक है।
1. क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिला के नरकटिया विधान सभा क्षेत्र के छौड़ादानों प्रखंड के खैरवा पंचायत के खैरवा भसही एवं बेला गोनाही गाँव तथा एकडटी पंचायत के मुरली एवं श्रीपूर गाँव में लगा विद्युत तार जीर्ण–शीर्ण स्थिति में रहने के कारण विद्युत आपूर्ति बाधित रहती है, यदि हाँ तो क्या सरकार उक्त गाँव के जर्जर विद्युत तारों को बदलने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों?	एनबीपीडीसीएल के सभी जिलान्तर्गत इस तरह के बिजली के जर्जर तार एवं पोल को बदलने का कार्य स्टेट प्लान के अन्तर्गत स्वीकृत है। एजेंसी का चयन कर लिया गया है। मई महीने से कार्य प्रारंभ होगा एवं कार्य पूरा करने की अवधि तीन साल है।

21/3/18
अमित कुमार
सहायक

21/3/18
रतन कुमार
वि० का० अ० (संचा० एवं ...)
नॉ० बि० पा० डि० क० लि० पटना

21.3.18
विद्युत अधीक्षण अभियंता (संचा० एवं संपो०)
नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, पटना

21-3-18
मुख्य अभि० (संचा० एवं सम्पो०)
नॉ०बि०पा०डि०क०लि०, पटना

बजट सत्र के लिए माननीय श्री सैयद अबु दौजाना, सदस्य विधान सभा से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या य–104 का उत्तर प्रतिवेदन।

प्रश्न	उत्तर
क्या मंत्री,ऊर्जा विभाग, यह बतलाने के कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिला चरौत प्रखंड अन्तर्गत भटावारी पंचायत के ग्राम मुतहा, ग्राम सपहा, ग्राम जमुनिया, ग्राम मुसडा, ग्राम बलसा, ग्राम बररीबेहटा में पुर्ण रूप से विद्युतीकरण नहीं होने के कारण ग्रामीण जनता को काफी कठिनाई हो रही है, यदि हॉ तो, क्या सरकार उपर वर्णित स्थानों पर कब तक विद्युतीकरण का कार्य पूर्ण कराने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों?	सीतामढ़ी जिला के चरौत प्रखंड के प्रश्न वर्णित गाँवों के बचे हुए टोलों/बसावटों में बिजली पहुँचाने का लक्ष्य अप्रैल 2018 है तथा हर घर बिजली पहुँचाने का लक्ष्य दिसम्बर 2018 है।

20/03/18
संजय कुमार झा
वि० कार्य० अभियंता (परियोजना-1)
ना० बि० पा० डि० कं० लि०, पटना।

20/03/2018
सुनील कुमार श्रीवास्तव
मुख्य अभियंता (परियोजना-1)
ना० बि० पा० डि० क० लि०, पटना

श्रीमती लेशी सिंह, सदस्य विधान सभा द्वारा प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या य–87 का उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्न	उत्तर प्रतिवेदन
क्या यह बात सही है कि पूर्णियाँ जिला के धमदाहा प्रखण्ड अधीन धमदाहा पूर्व पंचायत में टोटहा बिन्द टोली, कसमरा टोले, घरारी महलदार टोला में अभी तक तार पोल की आपूर्ति नहीं होने से विद्युत आपूर्ति नहीं कराया जा सका है, यदि हाँ तो क्या सरकार उक्त तीनों टोला में तार–पोल आदि की आपूर्ति कराकर विद्युत व्यवस्था बहाल करने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?	पूर्णियाँ जिला के धमदाहा प्रखण्ड अधीन धमदाहा पूर्व पंचायत के धमदाहा ग्राम के टोटहा बिन्द टोली, कसमरा टोला एवं घरारी महलदार टोला में बिजली पहुँचा दी गयी है। हर घर बिजली योजना के अन्तर्गत सारे घरों तक बिजली पहुँचाते हुए इच्छुक लोगों को विद्युत संबंध प्रदान करने का लक्ष्य दिसम्बर, 2018 है।

प्रमोद सिंह
19/3/18

प्रमोद सिंह
क० वि० अभि० (परियोजना-1)
ना० बि० पा० डि० क० लि०, पटना

सुनील कुमार श्रीवास्तव
मुख्य अभियंता (परियोजना-1)
ना० बि० पा० डि० क० लि०, पटना

श्री सुदामा प्रसाद, स0वि0स0 से प्राप्त तारांकित प्रश्न सं0 —य— 72.

क्रम सं.	प्रश्न	उत्तर
क	क्या यह बात सही है कि पटना जिला के दानापुर प्रखंड के ग्राम पंचायत जमालुद्दीनचक अन्तर्गत नवरत्नपुर मुसहर टोली के पास 100 के0भी0ए0 का एक ट्रांसफार्मर वर्ष 2013 से स्थापित है, जिससे श्री उमेश प्रसाद के घर से लेकर श्री मंगल दास के घर तक बॉस बल्ला के सहारे तार लगाकर उपभोक्ताओं को बिजली आपूर्ति की जाती है, जिससे काफी कठिनाई होती है, यदि हॉ तो सरकार वर्णित स्थान पर विद्युत पोल एवं तार लगाकर निर्बाध बिजली की आपूर्ति कबतक सुनिश्चित कराने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों?	यह सही है कि पटना जिला के दानापुर प्रखंड के पंचायत जमालुद्दीनचक अन्तर्गत नवरत्नपुर मुसहर टोली के समीप श्री उमेश प्रसाद के घर से लेकर श्री मंगल दास के घर तक उपभोक्ताओं द्वारा अस्थायी संरचन से विद्युत का उपभोग किया जा रहा है। शहरी क्षेत्र में ऐसे अस्थायी विद्युत संरचनाओं का सुदृढ़ीकरण कार्य भी IPDS योजना के तहत् किया जा रहा है जिसको दिसम्बर 2018 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है। पटना जिला के दानापुर प्रखंड के ग्राम पंचायत जमालुद्दीन चक अन्तर्गत नवरत्नपुर मुसहर टोली स्थित बॉस–बल्ला लाइन का सुदृढ़ीकरण विद्युत संरचना का निर्माण कर इसी योजना के तहत् दिसम्बर 2018 तक किया जायेगा।

09.03.18
(कुमारी तनु)
वि.का.अभि.(संचा.एवं संपो.)
E.E.E.(O&M)
S.B.P.D.C.L, Patna

9.3.18
(राजेन्द्र पाण्डेय)
वि.अधी.अभि.(संचा. एवं संपो.)
विद्युत अधीक्षण अभियंता
(संचा. एवं संपो०) सा० बि० पा० डि० कं० लि०

9/3/18
(अशोक कुमार)
निदेशक (संचालन)

बजट सत्र के लिए माननीय डॉ0 राजेश कुमार, सदस्य विधान सभा से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या य–80 का उत्तर प्रतिवेदन।

प्रश्न	उत्तर
क्या मंत्री, उर्जा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–	
1. क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिला अंतर्गत संग्रामपुर प्रखंड के दरियापुर गॉव एवं केसरिया प्रखंड के बथना गॉव में लगे विद्युत का तार विगत् 10 वर्षो से जर्जर है, यदि हॉ तो क्या सरकार उक्त गॉवों का जर्जर विद्युत तार को बदलने का विचार रखती है, नहीं तो क्यो?	स्वीकारात्मक। एनबीपीडीसीएल के सभी जिलान्तर्गत इस तरह के बिजली कें जर्जर तार एवं पोल को बदलने का कार्य स्टेट प्लान के अन्तर्गत स्वीकृत है। एजेंसी का चयन कर लिया गया है। मई महीने से कार्य प्रारंभ होगा एवं कार्य पूरा करने की अवधि तीन साल है।

अमित कुमार 21.3.18
अमित कुमार
सहायक

21.3.18

21.3.18
विद्युत अधीक्षण अभियंता (योजना एवं संचा०)
नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, पटना

21.3.18
मुख्य अभि० (योजना एवं सम्पो०)
नॉ०बि०पा०डि०कं०लि०, पटना

श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह, स0वि0स0 से प्राप्त तारांकित प्रश्न सं0 – य– 103.

कम सं.	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि औरंगाबाद जिलान्तर्गत बारून प्रखंड के जगदीशपुर–चिरैला–पौथु लाईन तथा नवीनगर प्रखंड के नवीनगर परसिया से तोल लाईन का तार अत्यन्त ही जर्जर है जिससे आए दिन दुर्घटना होती है?	विद्युत लाईनों के जर्जर तारों, पोलो इत्यादि को राज्य योजना के तहत् बदला जाना है जिसे मार्च 2020 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है। इसके लिए निविदा के माध्यम से एजेंसियों का चयन भी हो चुका है।
2	यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार उक्त लाईन के जर्जर तार को बदलने का विचार रखती है, नही तो क्यों?	औरंगाबाद जिला अन्तर्गत बारूण प्रखंड के जगदीशपुर–चिरैला–पौथु लाईन तथा नवीनगर प्रखंड के नवीनगर परसिया से तोल लाईन के जर्जर तारों को भी इसी योजना के तहत् मार्च 2019 तक बदल दिया जायेगा।

20.03.18
वि.का.अभि.(संचा.एवं संपो.)
E.E.E.(O&M)
S.B.P.D.C.L, Patna

20.3.18
वि.अधी.अभि.(संचा. एवं संपो.)
R. Pandey
ESE (O&M)
SBPDCL

20.3.18
मुख्य अभि0(संचा0 एवं संपो0)
मुख्य अभियन्ता (संचा० एवं सम्पो०)
सा० बि० पा० डि० कं० लि०, पटना

डॉ० अब्दुल गफूर, मा० स०वि०स० द्वारा दिनांक 23.03.2018 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या–टन–07

क्या मंत्री, पर्यटन विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–

क्र०	प्रश्न	श्री प्रमोद कुमार, मा०मंत्री, पर्यटन विभाग, बिहार सरकार का उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि सहरसा जिलान्तर्गत महिषी प्रखंड के पुनाच में प्रसिद्ध शिव मंदिर तथा नवहट्टा प्रखण्ड के शाहपुर में देवन बाबा मंदिर है, जहाँ सालों भर काफी तादाद में लोग पूजा अर्चना करने आते हैं,	स्वीकारात्मक।
2.	यदि हाँ तो क्या सरकार उक्त धार्मिक स्थलों को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित कर सुविधाएँ बहाल करने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?	तत्काल उक्त स्थल के लिए कोई योजना विभाग में विचाराधीन नहीं है परन्तु इस स्थल को निर्माणाधीन रोडमैप में सम्मिलित कर लिया गया है।

बिहार सरकार

<u>पर्यटन विभाग</u>

ज्ञापांक– पर्य०वि०स०(तारा०)–07 / 18......689...... पटना, दिनांक...23-3-18

प्रतिलिपि:– प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार विधान सभा को उनके ज्ञाप सं०–1491–92 दिनांक 22.02.2018 के क्रम में पाँच प्रतियों में/ संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव,
पर्यटन विभाग, बिहार, पटना।

श्री शम्भुनाथ यादव, मा० स०वि०स० द्वारा दिनांक 23.03.2018 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या–टन–21

क्या मंत्री, पर्यटन विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–

क्र०	प्रश्न	श्री प्रमोद कुमार, मा०मंत्री, पर्यटन विभाग, बिहार सरकार का उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि बक्सर जिला में ब्रम्हपुर विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत ब्रम्हपुर प्रखण्ड एवं चक्की प्रखण्ड में भागड़ नदी है, जिसका नाम गोकूल जलाशय रखा गया है ;	विभागीय ज्ञपांक 521 दिनांक 10.03.18 एवं स्मार पत्रांक 619 दिनांक 16.03.18 द्वारा जिला पदाधिकारी, बक्सर से उत्तर प्रतिवेदन की मांग की गई है। जो अबतक अप्राप्त है।
2.	क्या यह बात सही है कि उक्त जलाशय को देखने बाहरी पर्यटक आते है ;	
3.	यदि उपुर्यक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार गोकूल जलाशय को पर्यटन स्थल का दर्जा देने का विचार रखती है, हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?	तत्काल उक्त स्थल के लिए विभाग में कोई योजना विचाराधीन नहीं है।

बिहार सरकार
पर्यटन विभाग

ज्ञापांक– पर्य०वि०स०(तारा०)–21 / 18...686...... पटना, दिनांक 23-3-18

प्रतिलिपि:– प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार विधान सभा को उनके ज्ञाप सं०–2072–73 दिनांक 08.03.2018 के क्रम में पाँच प्रतियों में/ संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(हस्ताक्षर) 23/3/18
सरकार के अपर सचिव,
पर्यटन विभाग, बिहार, पटना।

श्रीमती वर्षा रानी, मा० स०वि०स० द्वारा दिनांक 23.03.2018 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या–टन–12

क्या मंत्री, पर्यटन विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–

क्र०	प्रश्न	श्री प्रमोद कुमार, मा०मंत्री, पर्यटन विभाग, बिहार सरकार का उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि भागलपुर जिला के बिहपुर प्रखंड अंतर्गत मडवा पश्चिम पंचायत के मडवा ग्राम में अवस्थित प्राचीन ब्रजलेश्वर महादेव मंदिर में महाशिवरात्री के अवसर पर जलाभिषेक एवं पूजा अर्चना हेतु कोसी एवं पुर्णिया प्रमंडल के साथ–साथ भागलपुर के सभी क्षेत्रों से श्रद्धालु बड़ी संख्या में आते हैं जहाँ उन्हें ठहरने एवं मंदिर परिसर में बुनियादी सुविधाओं के अभाव से कठिनाई होती है, यदि हां तो क्या सरकार पर्यटन के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण उक्त प्राचीन शिवमंदिर परिसर के उन्नयन हेतु आवश्यक कदम उठाने का विचार रखती है, हां तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	विभागीय ज्ञापांक 397 दिनांक 28.02.2018 एवं स्मार पत्रांक 528 दिनांक 11.03.2018 द्वारा जिला पदाधिकारी, भागलपुर से वांछित सूचना की मांग किया गया है। सूचना अप्राप्त है। उक्त स्थलों को निर्माणाधीन विभागीय रोड मैप में सम्मलित कर लिया गया है। तत्काल उक्त स्थल के लिए विभाग में कोई योजना विचाराधीन नहीं है।

बिहार सरकार
<u>पर्यटन विभाग</u>

ज्ञापांक– पर्य०वि०स०(तारा०)–12 / 18 685 पटना, दिनांक 23-3-18

प्रतिलिपि:– प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार विधान सभा को उनके ज्ञाप सं०–1567–68 दिनांक 27.02.2018 के क्रम में पाँच प्रतियों में/ संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव,
पर्यटन विभाग, बिहार, पटना।

श्री संजीव चौरसिया, मा० स०वि०स० द्वारा दिनांक 23.03.2018 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या—टन—29

क्या मंत्री, पर्यटन विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:—

क्र०	प्रश्न	श्री प्रमोद कुमार, मा०मंत्री, पर्यटन विभाग, बिहार सरकार का उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि महात्मा गांधी डॉ० राजेन्द्र बाबू के दीघा स्थित बिहार विद्यापीठ, दीघा में स्वतंत्रता आन्दोलन के समय अधिकांश समय गुजारा करते थे ;	जिला पदाधिकारी, पटना से विभागीय ज्ञापांक 610 दिनांक 16.03.2018 द्वारा प्रतिवेदन की मांग की गई है। जो अप्राप्त है।
2.	क्या यह बात सही है कि माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश पर बिहार विद्यापीठ को गांधी सर्किट के अन्तर्गत विकसित करने का विचार किया गया था ;	उक्त स्थल निर्माणाधीन विभागीय रोड मैप में प्रस्तावित है। इस विषय पर भवन निर्माण विभाग द्वारा कार्य कराया जा रहा है।
3.	यदि उपुर्यक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार बिहार विद्यपीठ गांधी सर्किट में सम्मिलित कर इसे विकसित करने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?	

बिहार सरकार
पर्यटन विभाग

ज्ञापांक— पर्य०वि०स०(तारा०)—29 / 18.....690.....   पटना, दिनांक....23-3-18

प्रतिलिपि:— प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार विधान सभा को उनके ज्ञाप सं०—2428—2429 दिनांक 14.03.2018 के क्रम में पाँच प्रतियों में/ संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव,
पर्यटन विभाग, बिहार, पटना।

श्री संजय कुमार सिंह, मा० स०वि०स० द्वारा दिनांक 23.03.2018 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न

संख्या–टन–27

क्या मंत्री, पर्यटन विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–

क्र०	प्रश्न	श्री प्रमोद कुमार, मा०मंत्री, पर्यटन विभाग, बिहार सरकार का उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि रोहतास जिला के काराकाट विधान–सभा क्षेत्र अन्तर्गत प्राचीन कालीन पौराणिक महादेव मंदिर करहर, बुढ़वा महादेव मंदिर गुजरू एवं सूर्य मंदिर उदयपुर में पूजा–अर्चना हेतु राज्य भर के पर्यटक सालोंभर आते–जाते रहते हैं, जिससे सरकार को प्रतिवर्ष करोड़ों रूपये की राजस्व की प्राप्ति होती है, परन्तु आधारभूत की कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं होने से पर्यटकों को काफी कठिनाई होती है ;	जिला पदाधिकारी, रोहतास से विभागीय ज्ञापांक 585 दिनांक 14.03.2018 द्वारा उत्तर प्रतिवेदन की मांग की गई है, जो अप्राप्त है।
2.	यदि खण्ड– 1 का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार उक्त मंदिरों को पर्यटन स्थल घोषित कर आधारभूत सुविधा मुहैया कराने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?	इन स्थलों को विभागीय निर्माणाधीन रोडमैप में सम्मिलित करने हेतु प्रस्तावित है। जिला पदाधिकारी का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर निधि की उपलब्धता के अनुसार अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी।

बिहार सरकार

पर्यटन विभाग

ज्ञापांक– पर्य०वि०स०(तारा०)–27 / 18....694.... पटना, दिनांक 23-3-18

प्रतिलिपिः– प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार विधान सभा को उनके ज्ञाप सं०–2375–76 दिनांक 13.03.2018 के क्रम में पाँच प्रतियों में/ संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव,
पर्यटन विभाग, बिहार, पटना।

श्री प्रहलाद यादव, मा० स०वि०स० द्वारा दिनांक 23.03.2018 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या–टन–30

क्या मंत्री, पर्यटन विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–

क्र०	प्रश्न	श्री प्रमोद कुमार, मा०मंत्री, पर्यटन विभाग, बिहार सरकार का उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि लखीसराय जिला के सूर्यगढ़ा एवं चानन प्रखण्ड के पहाड़ों पर माँ जलप्पा एवं श्रृंगी ऋषिधाम है जहाँ सालों भर जलकुंड में जल भरा रहता है एवं मान्यता है कि भगवान श्रीराम के चारों भाइयों का मुंडन इसी स्थान पर श्रृंगी ऋषिमुनी ने कराया था ;	आंशिक स्वीकारात्मक है। जिला पदाधिकारी, लखीसराय के प्रतिवेदन के अनुसार सिर्फ श्रृंगी ऋषिधाम में एक जलकुंड है जिसमें सालो भर पानी रहता है तथा किदबन्तियों के अनुसार श्रृंगी ऋीषिधाम में चारो भाईयों का मुंडन होने की बात कही जाती है।
2.	क्या यह बात सही है कि उक्त स्थल पर सालो भर लोग यहाँ पूजा अर्चना, शादी विवाह एवं मुंडन कराने आते हैं परन्तु लोगों के ठहरने एवं रहने की व्यवस्था नहीं रहने के कारण वर्षात (सावन–भादो) माह में लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है ;	स्वीकारात्मक।
3.	यदि उपुर्यक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार उक्त स्थल को राजकीय पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?	विभागीय निर्माणाधीन रोड मैप में उक्त स्थल को सम्मिलित किया जाना प्रस्तावित है। वर्त्तमान में कोई योजना विभाग में विचाराधीन नहीं है।

बिहार सरकार
पर्यटन विभाग

ज्ञापांक– पर्य०वि०स०(तारा०)–30 / 18......693.....   पटना, दिनांक 23-3-18

प्रतिलिपि:– प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार विधान सभा को उनके ज्ञाप सं०–2586–87 दिनांक 15.03.2018 के क्रम में पाँच प्रतियों में / संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव,
पर्यटन विभाग, बिहार, पटना।

डॉ० विनोद प्रसाद यादव, मा० स०वि०स० द्वारा दिनांक 23.03.2018 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या–टन–05

क्या मंत्री, पर्यटन विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–

क्र०	प्रश्न	श्री प्रमोद कुमार, मा०मंत्री, पर्यटन विभाग, बिहार सरकार का उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि गया जिलान्तर्गत आमस प्रखण्ड के चण्डीस्थान में माँ चण्डी मंदिर एवं डोभी प्रखण्ड के खरने के पास पंचबहिनी स्थान अवस्थित है, जहाँ श्रद्धालुओं की काफी भीड़ रही रहती है, यदि हाँ तो क्या सरकार वर्णित स्थानों पर पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु विकसित करने का विचार रखती है, हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों ?	जिला पदाधिकारी, गया से इस कार्यालय के पत्रांक 299 दिनांक 19.02.18 एवं स्मार पत्रांक 530 दिनांक 11.03.2018 द्वारा वांछित प्रतिवेदन की मांग किया गया है। जिला पदाधिकारी से उत्तर प्रतिवेदन अप्राप्त है। विभागीय निर्माणाधीन रोडमैप में उक्त स्थल को सम्मिलित करने हेतु प्रस्तावित है। उक्त स्थल के लिए कोई योजना तत्काल विभाग में विचाराधीन नहीं है।

बिहार सरकार

<u>पर्यटन विभाग</u>

ज्ञापांक– पर्य०वि०स०(तारा०)–05 / 18....691....... पटना, दिनांक....23-3-18

प्रतिलिपि:– प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार विधान सभा को उनके ज्ञाप सं०–1300–1301 दिनांक 15.02.2018 के क्रम में पाँच प्रतियों में / संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव,
पर्यटन विभाग, बिहार, पटना।

श्री शम्भुनाथ यादव, मा० स०वि०स० द्वारा दिनांक 23.03.2018 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या–टन–26

क्या मंत्री, पर्यटन विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–

क्र०	प्रश्न	श्री प्रमोद कुमार, मा०मंत्री, पर्यटन विभाग, बिहार सरकार का उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि बक्सर जिला में ब्रम्हपुर प्रखण्ड अन्तर्गत ब्रम्हपुर ग्राम में बाबा ब्रम्हेश्वर नाथ का मंदिर अवस्थित हैं, जहाँ शिवरात्रि एवं सावन के महीने में लाखों श्रद्धालु जल चढ़ाने मंदिर में आते हैं ;	विभागीय ज्ञापांक 586 दिनांक 14.03.18 द्वारा जिला पदाधिकारी, बक्सर से वांछित प्रतिवेदन मांगा गया है। प्रतिवेदन अप्राप्त है, परन्तु विभागीय निर्माणाधीन रोड मैप में उक्त स्थल प्रस्तावित है।
2.	यदि हाँ तो क्या सरकार उक्त मंदिर को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने का विचार रखती है, हॉ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	तत्काल उक्त स्थल के लिए विभाग में कोई योजना प्रस्तावित नहीं है।

बिहार सरकार
<u>पर्यटन विभाग</u>

ज्ञापांक– पर्य०वि०स०(तारा०)–26/18......692...... पटना, दिनांक 23-3-18

प्रतिलिपिः– प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार विधान सभा को उनके ज्ञाप सं०–2377–78 दिनांक 13.03.2018 के क्रम में पाँच प्रतियों में/ संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(हस्ताक्षर)
सरकार के अपर सचिव,
पर्यटन विभाग, बिहार, पटना।

श्री लक्ष्मेश्वर राय, मा० स०वि०स० द्वारा दिनांक 23.03.2018 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या–टन–28

क्या मंत्री, पर्यटन विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–

क्र०	प्रश्न	श्री प्रमोद कुमार, मा०मंत्री, पर्यटन विभाग, बिहार सरकार का उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिलान्तर्गत लौकही प्रखंड के महादेव मठ में महादेव मंदिर अति प्राचीन मंदिर में एक है ;	जिला पदाधिकारी, मधुबनी से विभागीय ज्ञापांक 609 दिनांक 16.03.18 द्वारा उत्तर प्रतिवेदन की मांग की गई है। जो अबतक अप्राप्त है।
2.	क्या यह बात सही है कि इस मंदिर में लाखों लोग सावन, भादों में कॉवर लेकर जल चढ़ाने आते हैं, परन्तु बुनियादी सुविधा नहीं रहने के कारण श्रद्धालुओं को काफी कठिनाई होती है,	
3.	यदि उपुर्यक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार उक्त अति प्राचीन महादेव मंदिर को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?	उक्त स्थलों को निर्माणाधीन विभागीय रोड मैप में सम्मलित कर लिया गया है। तत्काल उक्त स्थल के संबंध में कोई योजना विभाग में विचाराधीन नहीं है।

बिहार सरकार
पर्यटन विभाग

ज्ञापांक– पर्य०वि०स०(तारा०)–28/18...688...   पटना, दिनांक...23-3-18...

प्रतिलिपि:– प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार विधान सभा को उनके ज्ञाप सं०–2426–27 दिनांक 14.03.2018 के क्रम में पाँच प्रतियों में/ संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव,
पर्यटन विभाग, बिहार, पटना।

श्री रामप्रीत पासवान, मा० स०वि०स० द्वारा दिनांक 23.03.2018 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या–टन–31

क्या मंत्री, पर्यटन विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–

क्र०	प्रश्न	श्री प्रमोद कुमार, मा०मंत्री, पर्यटन विभाग, बिहार सरकार का उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिला के झंझारपुर एवं मधेपुर प्रखण्डों में अवस्थित धार्मिक, ऐतिहासिक एवं प्राचीनतम मंदिरों को विकसित करने हेतु शांतिनाथ महादेव मंदिर झंझारपुर वर्ष 2012 एवं चमुण्डा स्थान मंदिर पचही वर्ष 2013 में सरकार के द्वारा आदेश निर्गत किया गया था परन्तु इतनी लंबी अवधि बीत जाने के बावजूद उपर्युक्त धार्मिक स्थलों को अभी तक विकसित नहीं किया गया है, यदि हॉ तो इसका औचित्य क्या है ?	मधुबनी जिलान्तर्गत शांतिनाथ महादेव मंदिर झंझारपुर के विकास एवं सौन्दर्यीकरण हेतु वित्तीय वर्ष 2013–14 में 57,49,000/– (सन्तावन लाख उनचास हजार रूपये) मात्र की स्वीकृत एवं चामुण्डा स्थान के विकास एवं सौन्दर्यीकरण हेतु राज्य योजना उदव्यय से राशि 57,48,400/– (सन्तावन लाख अड़तालीस हजार चार सौ) मात्र की स्वीकृत की गई है। इसके कार्यकारी एजेंसी बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम है। पर्यटन निगम से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार प्रश्नगत योजना पूर्ण है।

बिहार सरकार

पर्यटन विभाग

ज्ञापांक– पर्य०वि०स०(तारा०)–31/18......684...... पटना, दिनांक 23-3-18

प्रतिलिपि:– प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार विधान सभा को उनके ज्ञाप सं०–2715–16 दिनांक 16.03.2018 के क्रम में पाँच प्रतियों में/ संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

23/3/18

सरकार के अपर सचिव,

पर्यटन विभाग, बिहार, पटना।